बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

(1)

प्रेस नोट

स्टेट डाटा सेंटर 2.0 फेज–II परियोजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,59,30,00,000.00 (एक अरब उनसठ करोड़ तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

डाटा सेंटर में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एप्लिकेशन के होस्टिंग एवं स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्टेट डाटा सेंटर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहाँ राज्य के संवेदनशील डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। यह नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्त्तमान में इसमें 360 से अधिक वेबसाईट/पोर्टल/एप्लीकेशन hosted हैं।

स्टेट डाटा सेंटर 2.0 अन्तर्गत अधिष्ठापित कंप्यूट (कोर, रैम और स्टोरेज) का 85% से अधिक उपयोग किया जा चुका है। इस कारण से उपकरणों का परफोर्मेंस प्रभावित हो रहा है। एनआईसी, बिहार ने अपने मिनी डेटा सेंटर को बंद कर दिया है, जिसके कारण 60 वेबसाइट/पोर्टल/एप्लिकेशन, जो मिनी डेटा सेंटर पर होस्ट किए गए हैं, उन्हें स्टेट डेटा सेंटर में माइग्रेट किया जाना है। इन एप्लिकेशन के साथ–साथ अगले 3 वर्षों में होस्ट किए जाने वाले एप्लिकेशन को समायोजित करने के लिए, स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की वर्तमान क्षमता को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि विभागों को निर्बाध रूप से सेवाएं प्रदान की जा सके।

उक्त परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

- राज्य सरकार के विभागों/पीएसयू/निगम/सोसायटी को केन्द्रीकृत निःशुल्क होस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की सेवा प्रदान करना।
- टियर III डाटा सेंटर का, न्यूनतम 99.982% के अपटाइम के साथ 24 x 7 परिचालन करना।
- स्टेट डाटा सेंटर में वेबसाइट, एप्लिकेशन, पोर्टल की सुरक्षित और संरक्षित होस्टिंग प्रदान करना।
- SDC में Hosted Applications के माध्यम से नागरिक–सेवाएँ उपलब्ध कराना।

14.5.25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

सूचना प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

2

प्रेस नोट

डिजास्टर रिकवरी (डी.आर.) एण्ड बिजनेस कंटीन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 90,28,12,000.00 (नब्बे करोड़ अठाईस लाख बारह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

डाटा सेंटर में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एप्लिकेशन होस्टिंग एवं स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्टेट डाटा सेंटर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहाँ राज्य के संवेदनशील डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। यह नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्त्तमान में इसमें 360 से अधिक वेबसाईट/पोर्टल/एप्लीकेशन hosted हैं।

उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकार की साईबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ अवरूद्ध नहीं हों। इसलिए इस डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएँ होना आवश्यक है।

स्टेट डाटा सेंटर के लिए डिजास्टर रिकवरी सेवायें प्राप्त करने हेतु कुल पाँच वर्षों के लिए योजना स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 24.01.2025 को समाप्त हो गई है। डाटा सेंटर हेतु डिजास्टर रिकवरी की निर्बाध फैसिलिटी की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का विस्तार किया जाना अतिआवश्यक है।

उक्त परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

(क) स्टेट डाटा सेंटर पर होस्ट की गई सभी वेबसाईटों/एप्लीकेशन/पोर्टल हेतु आपदा रिकवरी का प्रावधान करना।

(ख) स्टेट डाटा सेंटर के बिजनेस ऑपरेशन को निर्बाध रूप से संचालित करना तथा किसी गंभीर घटना या आपदा की स्थिति में संचालन की अवरूद्धता को सीमित करना।

(ग) किसी भी प्रकार के साईबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ को निर्बाध रूप से संचालित करना।

(घ) कार्यों में रूकावट के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना।

14/2/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

3

प्रेस नोट

बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN 2.0) के एक वर्ष (दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक) के संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि ₹ 82,72,88,000.00 (बयासी करोड़ बहत्तर लाख अठासी हजार) मात्र की स्वीकृति।

राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ते हुए वॉईस, डाटा एवं विडियो कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य मुख्यालय को जिला एवं प्रखंड कार्यालयों से सिक्योर हाई–स्पीड इन्टरनेट के माध्यम से जोड़कर सरकारी सेवाओं यथा– सर्विस प्लस (RTPS), डी०आर०सी०सी०, रजिस्ट्री ऑफिस, जी०पी०एफ० ऑफिस, भूमि सुधार ऑफिस से जुड़ी सुविधाओं को आम जनों तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

BSWAN परियोजना के सफलता के बाद परियोजना का विस्तार BSWAN 2.0 के रूप में अक्टूबर, 2018 में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉईस ओभर आई०पी० (VoIP), इंटरनेट, इन्ट्रानेट, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी युक्त नेटवर्क सौर ऊर्जा आधारित यू०पी०एस० पावर इत्यादि को जोड़कर इसे मजबूती प्रदान की गयी है। BSWAN 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन (5 वर्ष) हेतु कुल राशि रु० 5,06,74,38,661.00 (पाँच अरब छः करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार छः सौ इकसठ) मात्र स्वीकृत किया गया, जिसकी अवधि दिनांक 28.02.2023 को समाप्त हो गयी तथा एक वर्ष के संचालन एवं रख–रखाव की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी अवधि दिनांक 29.02.2024 को समाप्त हो गयी। पुनः एक वर्ष का अवधि विस्तार किया गया है, जिसकी जिसकी अवधि दिनांक 28.02.2025 को समाप्त हो रही है।

बिस्वान 3.0 परियोजना हेतु मैनेज्ड सिस्टम प्रोवाइडर (एम.एस.पी.) के चयन हेतु दिनांक 22.12.2023 को निविदा प्रकाशित किया गया था, परन्तु अपरिहार्य कारणवश दिनांक 26.09.2024 को निविदा रद्द कर दिया गया। नये निविदा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद,

क्रमशः 2/–

आरएफपी को अंतिम रूप देने एवं प्रकाशन के बाद, बिड–प्रोसेस मैनेजमेंट, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एकरारनामा पर हस्ताक्षर, नए बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन और मौजूदा बिस्वान 2.0 सेवाओं को नए बुनियादी ढांचे में स्थानांतरित करने में एक (1) वर्ष का समय लगने की संभावना है। इस कारण से बिस्वान 2.0 परियोजना को (1) वर्ष के लिए विस्तारित (एक्सटेंशन) किया जाना अतिआवश्यक है।

BSWAN 2.0 परियोजना के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है :–

- सरकारी सेवाओं और सरकार से संबंधित सूचनाओं का किसी भी समय और कहीं भी प्रसार सुनिश्चित करना।
- राज्य में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी के लिए एक विश्वसनीय और Scalable नेटवर्क स्थापित करना।
- सरकारी विभागों के बीच संचार की लागत को कम करना।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यथा– संवेदनशील डेटा, भुगतान इत्यादि को enable करने के लिए सुरक्षित नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।
- पदाधिकारियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(4)

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
प्रेस नोट

श्री निरज कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, नालन्दा, सम्प्रति–निलंबित, (मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) के विरूद्ध श्री राकेश कुमार, गर्दनीबाग, पटना से जमीन का रजिस्ट्री करने के एवज में रू0 15000/– (पन्द्रह हजार) रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल के द्वारा दिनांक–21.07.2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी मामले में निगरानी थाना कांड सं0–058/2017, दिनांक 21.07.2017 धारा–7/8/13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी0) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किया गया है। श्री कुमार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 सह यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम–14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।

2. राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिये कटिबद्ध है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड अधिरोपित होगा एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव

H:\room 175\Gaurav----\sanlekh---\Niraj Kumar\Press Note.doc

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

–:: प्रेस नोट ::–

श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय– जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–747 दिनांक–14.08.2021 से प्राप्त पत्र एवं प्रभात खबर दैनिक में छपे समाचार के अनुसार श्रीमती कुमारी को परिवादी श्री विकास पाण्डेय, ग्राम पोस्ट थाना– भोजपुर से 20,000/– (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक–12.08.2021 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा ट्रैपिंग कर गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त होने तथा उक्त के संबंध में इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–031/2021 दिनांक–12.08.2021 दर्ज होने के आलोक में अधिसचूना संख्या–3566 दिनांक–27.08.2021 से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विधिवत आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या–98 दिनांक–07.01.2022 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" की शास्ति की स्वीकृति दी गई है।

18/2/25

(हरजोत कौर बम्हरा)
अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग।

(6)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में प्रवृत है। उक्त अधिनियम की धारा 8(i) के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव हेतु राज्य के प्रत्येक जिला में उतने संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है जितना आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद रिट याचिका (सिविल) संख्या 1156/2021 हम भारत की महिलाएं बनाम भारत संघ और अन्य में पारित आदेश के आलोक में भी राज्य में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 के कार्यान्वयन हेतु संरक्षण पदाधिकारी की अलग सेवा गठित किया जाना आवश्यक है।

अतएव राज्य में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए संरक्षण पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के निमित विभाग द्वारा तैयार "बिहार संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 (अनुलग्नक –1) की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

18/2/25

(हरजोत कौर बम्हरा)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग

(7)

02/30

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ती) नियमावली, 2014 के नियम–3 में संशोधन हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के (लिपिकीय) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्ती) संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी।

13.2.25

अपर मुख्य सचिव

01/50

8

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या-- **SIPB2311000641**

प्रेस नोट

मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण में पूर्व में स्थापित 7500 TCD के अतिरिक्त 2500 TCD कुल 10000 TCD क्षमता की Sugar इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹9519.50 लाख (पन्चानवे करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ-साथ कुल 578 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

17/7/2023

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव

(9) 02/52

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– **SIPB2211000426**

प्रेस नोट

मेसर्स शारदा फूड एण्ड लॉजिस्टिक, पटना में 22000 MTPA क्षमता की Renting of Warehouse इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹4180.81 लाख (एकतालीस करोड़ अस्सी लाख एकासी हजार रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 21 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

17/2/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव

10

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
प्रेस नोट

'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित वाले 58003 वार्डो में निर्मित 70157 योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत राज्य योजना मद से विभाग को उपलब्ध कराये जानेवाली राशि 12824.00 लाख (एक सौ अठाईस करोड़ चौबीस लाख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय करने की स्वीकृति के पश्चात् पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

3/12/25

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

(11)

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 3818.45 लाख (अड़तीस करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हज़ार रुपये मात्र) है, के तहत् भागलपुर ज़िलान्तर्गत गोपालपुर प्रखण्ड में इस्माईलपुर–बिन्दटोली तटबंध के स्पर–7 और स्पर–8 के बीच ब्रीच क्लोजर एवं सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान है ।

इस योजना के कार्यान्वयन से निकटवर्ती क्षेत्रों को गंगा नदी के कटाव एवं बाढ़ की विभिषिका से बचाया जा सकता है। साथ ही बाढ़ के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई एवं निरीक्षण तथा आम–आवागमन सुगम होगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना की प्राक्कलित राशि–3427.80 लाख रुपये (रूपये चौतीस करोड़ सताईस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) है । यह योजना पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के ग्राम घनसुरपुर से देदौर तक गंगा नदी की पुरानी धार का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है । योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सीढ़ी घाट के पास गंगा नदी अविरल रूप से प्रवाहित होगी एवं बख्तियारपुर शहर धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र के रूप में विकसित होगा । इससे यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो इस शहर के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा । इस प्रकार यह योजना जनोपयोगी है ।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सन्निहित है:–

(i) 03 वर्षों के अनुरक्षण के साथ ग्राम घनसुरपुर से देदौर तक 4420 मी0 की लंबाई में गंगा नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित एवं सक्रिय करना ।

(ii) ग्राम घनसुरपुर, करौटा एवं हटिया के समीप 1520 मी0 की लंबाई में गैबियन टो (3.6 मी0 X 3.60 मी0) के साथ दो लेयर जियो बैग स्लोप पिचिंग का कार्य ।

गंगा नदी के रीभर फ्रंट सिढ़ी घाट तक पहुँच पथ निर्माण हेतु भू–अर्जन किया जाना है ।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

13

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नगर पंचायत, मधुबन के गठन के उपरान्त इसका कुल क्षेत्रफल 552.94 हेक्टेयर तथा कुल जनसंख्या 16391 हो जायेगी।

19/2

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

14 (2)

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

संचिका संख्या– 11/वि० 11–177/2024................

<u>प्रेस नोट</u>

राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के पूर्व से सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एवं कार्यरत कुल 1318 पदों को मरणशील घोषित कर क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित करते हुए "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2021" के अधीन प्रधानाध्यापक के कुल 2857 सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

(बैद्यनाथ यादव)
सचिव,
शिक्षा विभाग

15

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज का जन्म स्थान होने के साथ–साथ सिख धर्म का एक प्रमुख तख्त है। यह पवित्र स्थान बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ देश–विदेश से बहुतायत संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु दर्शन करने आते है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रसाद योजना के अन्तर्गत पटना साहिब के विकास हेतु 4153.56 लाख रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कंगनघाट में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण 742.68 लाख रूपये की लागत से वर्ष 2021 में पूर्ण कर लिया गया है।

इसके अन्तर्गत जी+2 भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भू–तल पर संगत हॉल, रिसेप्शन, किचेन एवं शौचालय तथा प्रथम एवं द्वितीय तल पर क्रमशः 14–14 कुल 28 (अठाईस) कमरों का निर्माण किया गया है।

मंत्रिपरिषद् द्वारा पर्यटक सुविधा केन्द्र, कंगनघाट का रख–रखाव एवं संचालन हेतु गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

18/07/2025

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

बिहार राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने एवं अन्य कार्य के लिए निविदा से चयनित एजेंसी द्वारा आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए कुल मतदान केन्द्र संख्या 38,948 (50%) पर स्वीकृत दर रू0 7,700/- (मानवबल सहित) पर वेबकास्टिंग किये जाने पर सभी करों सहित रू0 35,66,73,408/-(पैंतीस करोड़ छियासठ लाख तिहत्तर हजार चार सौ आठ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

हस्ताक्षर – 21.2.25

नाम – मिथिलेश कुमार साहु

पदनाम – संयुक्त सचिव

17

<u>बिहार सरकार</u>
गृह विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू करने हेतु आवश्यक उपकरणों/उपस्करों का क्रय हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि ₹ 5862.37038 लाख (अंठावन करोड़ बासठ लाख सैंतीस हजार अड़तीस रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

विभिन्न प्रकार उपकरणों/उपस्करों के क्रय से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सचिव
24/2/21

18

-33 (18)
09/01/25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

बिहार सरकार के नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) संशोधन नियमावली, 2025 द्वारा बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम 1(2) में संशोधन करते हुए बिहार राज्य में 01–40 बेड तक के अस्पतालों को छोड़कर शेष सभी नैदानिक स्थापनों पर उक्त नियमावली लागू करने का प्रावधान किया गया है।

साथ ही नियम 22(1) औपबंधिक (Provisional) रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों की अवधि का समय–सीमा निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियम 22(2) के तहत प्रावधान किया गया है कि – **"ऐसे नैदानिक स्थापनों को, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मानको को अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित अवधि से परे औपबंधिक (अनंतिम) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान या नवीकृत नहीं किया जायेगा यथा–**

(i) ऐसे नैदानिक स्थापनों की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अस्तित्व में आये हैं, मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;

(ii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, मानकों की अधिसूचना से दो वर्ष की अवधि, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् और मानकों की अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में आए हैं; और

(iii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, जो मानकों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् अस्तित्व में आए हों, मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि;

9/1/25

सरकार के अपर सचिव।

17 03/50

सं0सं0–16/टी.2–42/2014 - 157 (आ0चि0) 30-01-2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः– बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, आशुलिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, आशुलिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति जिसके द्वारा आशुलिपिक के नियुक्ति प्राधिकार महानिदेशक, आयुष, संवर्ग की संरचना चार स्तरीय, संवर्ग बल एवं वेतनमान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा एवं संवर्ग का स्तर राज्य स्तरीय होगा, के संबंध में।

30.1.25

(शम्भू शरण)

सरकार के अपर सचिव

F:\Anil\Irshad1\Irshad\Sanlekh Cabinet..docx

2/50

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा शर्तो आदि के मामलों में निष्पादन की कठिनाईयों के आलोक में बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 गठित किया जाना हैं।

तकनीकी पदों पर चयन की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किये जाने, अंको के आधार के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने, साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने, संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अधिमानता के अंकों के संदर्भ में किये गये प्रावधानों में मेजर मीता सहाय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0–9482/2019 में दिनांक–17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार के स्थान पर बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर–सरकारी/निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) अस्पतालों/संस्थानों अंकित किये जाने के मंतव्य के अनुसार अंकों का निर्धारण करने, इन्टमेडियेट (जीव विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो) योग्यता के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाईजिनिस्ट) में दो वर्षीय डिप्लोमा, अधियाचना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विभाग के माध्यम से आयोग को भेजने आदि में आवश्यक प्रावधान करने के आलोक में बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन करने की आवश्यकता है।

बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया जाता है।

166(4)
31/01/2025

अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(21)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को 250 एम0बी0बी0एस0 की क्षमता एवं 5462 शय्या वाली चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जा रहा है, जिसका कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है।

इस योजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 2025 एवं द्वितीय चरण के पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 2026 निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप इस योजना को पूर्ण करने हेतु इसके अनुश्रवण की निरंतरता बनाये रखना आवश्यक है।

डा0 आई0एस0 ठाकुर, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के द्वारा इस योजना का सतत् अनुश्रवण किया जाता रहा है, जिससे योजना में संतोषप्रद प्रगति हो रही है। डा0 आई0एस0 ठाकुर यदि अगले एक वर्ष तक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पद पर रहते हैं तो इस महत्वाकांक्षी योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे योजना को ससमय पूर्ण करने में सहूलियत हो सकेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में डा0 आई0एस0 ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि (31.01.2025 तक) को दिनांक–01.02.2025 से दिनांक–31.01.2026 तक विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना की सतत् समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा निर्धारित तिथि से पूर्व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

117(1)
13-2-2025

13.2.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

स0सं0– 7/MCH –35–37/2024

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा के चतुर्थ चरण में दिनांक–10.02.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में नवादा जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है। साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है। इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है। इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा 401.68 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

सरकार के अपर सचिव

23

स0सं0– 7/MCH –35–38/2024

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा के चतुर्थ-चरण में दिनांक–14.02.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में जहानाबाद जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है। साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है। इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है। इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा 402.19 करोड़ का प्रारम्भिक-परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

24/4/25

सरकार के अपर सचिव

सं०सं०– 7/MCH –35–36/2024–25

२५

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में कैमूर जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है। साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है। इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है। इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा रू० 402.14 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

सरकार के अपर सचिव

स0सं0– 7/MCH –35–34/2024

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है । इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा के चतुर्थ चरण में दिनांक–02.02.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में बांका जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है । इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है । इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा 402.31 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

सरकार के अपर सचिव

स0सं0— 7 / MCH —35—35 / 2024—

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से चतुर्थ चरण में दिनांक--11.02.2025 को प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है। साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला / सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है। इसके लिए जिला / सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है। इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा रू० 400.29 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

सरकार के अपर सचिव

(27)

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत गया जिलान्तर्गत अंचल–गया सदर में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5845.18 लाख (अनठावन करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्योवसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

(इबरार अहमद खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

उद्योग विभाग अन्तर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1367.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.07.2024 के बैठक में मद संख्या–42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

उक्त के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु नवादा जिला के रजौली अंचल अंतर्गत मौजा भड़रा से कुल रकबा–139.48 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि– 31,24,35,200.00 (रुपये इक्कतीस करोड़ चौबीस लाख पैंतीस हजार दो सौ) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से नवादा जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

25/2/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

उद्योग विभाग अर्न्तगत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1367.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.07.2024 के बैठक में मद संख्या–42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

उक्त के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु अरवल जिला के अरवल अंचल अंतर्गत मौजा कोरियम से कुल रकबा–61.24 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 37,57,88,289.00 (रुपये सैतीस करोड़ संतावन लाख अठासी हजार दो सौ नवासी) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से अरवल जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

22/2/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

30

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टरिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 45.58 करोड़ (पैंतालिस करोड़ अंठावन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 182.35 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ पैंतीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टरिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 45.58 करोड़ (पैंतालिस करोड़ अंठावन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 182.35 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ पैंतीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

31

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोह (नवादा) में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट(बी०जी०सी०एल०) जी0आई0एस0 ग्रिड सब–स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 38.25 करोड़ (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 153.01 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ एक लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोह (नवादा) में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट (बी०जी०सी०एल०) जी0आई0एस0 ग्रिड सब–स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 38.25 करोड़ (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 153.01 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ एक लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड में एक नये 2X20 एम0वी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0वी0 एस0/सी0 लखीसराय–हाथीदह संचरण लाईन का बड़हिया में एल0आई0एल0ओ0 के निर्माण हेतु 63.40 करोड़ (तिरेसठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड में एक नये 2X20 एम0वी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0वी0 एस0/सी0 लखीसराय–हाथीदह संचरण लाईन का बड़हिया में एल0आई0एल0ओ0 के निर्माण हेतु 63.40 करोड़ (तिरेसठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2X80 एम0वी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी0जी0सी0एल0) जी0आई0एस0 ग्रिड सब–स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 36.54 करोड (छत्तीस करोड़ चौबन लाख) इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में एवं शेष 80% अर्थात् 146.15 करोड (एक सौ छियालीस करोड़ पंद्रह लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम मे किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2X80 एम0वी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी0जी0सी0एल0) जी0आई0एस0 ग्रिड सब–स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 36.54 करोड (छत्तीस करोड़ चौबन लाख) इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में एवं शेष 80% अर्थात् 146.15 करोड (एक सौ छियालीस करोड़ पंद्रह लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

34

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) में विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु आर0ई0सी0 लि0 द्वारा अनुमोदित 296.93 करोड़ (दो सौ छियानवे करोड़ तिरानवे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 178.16 करोड़ (एक सौ अठहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 118.77 करोड (एक सौ अठारह करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) में विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु आर0ई0सी0 लि0 द्वारा अनुमोदित 296.93 करोड़ (दो सौ छियानवे करोड़ तिरानवे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 178.16 करोड़ (एक सौ अठहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 118.77 करोड (एक सौ अठारह करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

21.1.
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

35

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। **प्रेस नोट**।।

प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत मुन्द्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर, किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु कुल ₹3919.70 लाख (उनचालीस करोड़ उनीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति पर सहमति दी गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

अरवल जिलान्तर्गत मुन्द्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर, किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

21.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

94

36

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। **प्रेस नोट** ।।

प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में बक्सर जिला के आई. टी. आई. मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु कुल ₹4338.14 लाख (तैंतालीस करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति पर सहमति दी गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

बक्सर जिला के आई. टी. आई. मैदान में स्टेडियम (खेल अवसंरचना) के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

2/12/2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

37

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। **प्रेस नोट** ।।

प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में जमुई जिला के सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु कुल ₹3259.92 लाख (बत्तीस करोड़ उनसठ लाख बानबे हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

जमुई जिला के सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

Rajendra
24.2.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। **प्रेस नोट**।।

प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखण्ड में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु कुल **₹ 3711.15** लाख (सैंतीस करोड़ ग्यारह लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखण्ड में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

24.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रुप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन रोहतास (सासाराम) जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल–सासाराम–1 अंतर्गत करहगर प्रखण्ड के अधीन "टी02–करहगर बरहारी रोड से धरमपुरा रोड", लम्बाई– 19.650 कि0मी0 के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू0 41.32640 करोड़ रूपये (एकतालीस करोड़ बत्तीस लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य रोहतास (सासाराम) जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

Rajendra 31.1.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

40

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रुप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन रोहतास (सासाराम) जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल–सासाराम–1 अंतर्गत करहगर प्रखण्ड के अधीन "टी06–बरवॉ से जहानाबाद रोड", लम्बाई–27.00 कि0मी0 के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू0 56.49951 करोड़ रूपये (छप्पन करोड़ उनचास लाख पंचानवे हजार एक सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य रोहतास (सासाराम) जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

31.1.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

५१

प्रेस नोट

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 955 दिनांक 15.12.2020 के कंडिका 6 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–25) अंतर्गत ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु सुलभ संपर्कता को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।

विकास आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 192 दिनांक 17.02.2025 द्वारा इस योजना के निर्माण से सम्बंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक – 16.02.2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में भोजपुर जिला अन्तर्गत सन्देश से अखगॉव होते हुए कोईलवर तक नहर से बांध पर पथ के क्रियान्वयन की घोषणा की है। पथ की कुल लम्बाई–18.370 कि0मी0 के निर्माण तथा 05 वर्ष की अनुरक्षण अवधि की कुल राशि रू0 3713.427 लाख रूपये (सैंतीस करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस पथ के निर्माण से हल्के वाहन एवं एम्बुलेंस को काफी सुविधा प्रदान होगी, सन्देश, सहार, अगियॉव प्रखंड के साथ– साथ पीरो प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र को गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे संपर्कता प्राप्त हो जायेगी। सम्पर्कता मिलने पर हज़ारो गॉवों के लाखों ग्रामीणवासियों को पटना P.M.C.H., पटना विश्वविद्यालय जाने हेतु सीधी सम्पर्कता प्राप्त होगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को दीघा ब्रीज से उत्तर बिहार की सीधी सम्पर्कता प्राप्त हो जाएगी।

Rajendra 21.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

42

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बांका जिलांतर्गत बदुआ जलाशय से बांका, भागलपुर एवं मुंगेर जिला तथा मुंगेर जिलांतर्गत खड़गपुर जलाशय से मुंगेर जिला में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बदुआ जलाशय का सी०सी०ए० 45850 हे० तथा खड़गपुर जलाशय का सी०सी०ए० 5310 हे० है। बदुआ जलाशय से वर्ष 2022 में 20037 हे० कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी थी, जबकि खड़गपुर जलाशय से वर्ष 2022 में 1886 हे० कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी थी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनियमित वर्षापात के कारण बदुआ जलाशय एवं खड़गपुर जलाशय से सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। अतः सुल्तानगंज के पास गंगा नदी के जल को मात्र बाढ़ अवधि में 04 माह (जुलाई से अक्टूबर) के बीच उद्वह कर बांका जिलांतर्गत बदुआ जलाशय एवं मुंगेर जिलांतर्गत खड़गपुर जलाशय में रूपांकित जल संचयन क्षमता के अनुरूप भंडारित कर सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

इस योजनांतर्गत भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में गंगा नदी के पास इंटेकवेल–सह–पम्प हाउस का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिष्ठापित मोटर पम्प की सहायता से गंगा नदी के 55 एम०सी०एम० जल को उद्वह कर पाईप लाईन के माध्यम से 30.81 कि०मी० की दूरी पर मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड के बिहमा ग्राम तक पहुँचाया जाना है। बिहमा ग्राम से पाईप लाईन 02 अदद लाईन में विभक्त हो जायेगी, जिसमें से 01 अदद पाईप लाईन 23.94 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित बिजीखोरवा सिंचाई कॉलोनी में प्रस्तावित डिटेंशन टैंक तक जायेगी। जबकि दूसरी पाईप लाईन 17.91 कि०मी० की दूरी पर मुंगेर जिला के खड़गपुर जलाशय तक पहुँचाया जाना है।

बिजीखोरवा सिंचाई कॉलोनी में प्रस्तावित डिटेंशन टैंक से 1.50 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित बदुआ जलाशय तक मोटर–पम्प की सहायता से पानी पहुँचाने हेतु पाईप लाईन का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से बदुआ जलाशय से बांका, भागलपुर एवं मुंगेर जिला में कुल 45850 हे० क्षेत्र में तथा खड़गपुर जलाशय से मुंगेर जिला में कुल 5310 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करायी जा सकेगी। साथ ही योजना के पूर्ण होने के उपरांत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पेयजल हेतु आवश्यक जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा सकेगी।

31/1
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

(43)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बदुआ जलाशय सिंचाई योजना के बायां मुख्य नहर के खैराती खां वितरणी के 6.70 कि०मी० (बायां) से चौरा उपवितरणी (लम्बाई 5.85 कि०मी०) निकलती है तथा चौरा उपवितरणी के 0.80 कि०मी० (दायां) से गाजीपुर डांड़ (लम्बाई 3.51 कि०मी०) निकलती है। खैराती खां वितरणी के अंतिम छोर से निःसृत खैराती खां उपवितरणी के 1.20 कि०मी० (बायां) से कमरगावां डांड़ (लम्बाई 7.50 कि०मी०) तथा 2.90 कि०मी० (बायां) से फूसना डांड़ (लम्बाई 5.16 कि०मी०) निकलती है।

वर्तमान में इन नहरों में भारी मात्रा में जंगल–झाड़ है तथा नहर भी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जिससे खरीफ एवं रब्बी सिंचाई अवधि में नहर के अंतिम बिन्दु तक जलश्राव उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। वर्णित चारों नहरों से कुल कमाण्ड क्षेत्र 2750 हे० के विरूद्ध लगभग 1650 हे० कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः वर्णित नहरों की क्षमता के अनुरूप खरीफ एवं रब्बी सिंचाई अवधि में वाटर सीपेज को रोकते हुए नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(i) चौरा उपवितरणी की कुल लम्बाई 5.85 कि०मी० में पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
(ii) गाजीपुर डांड़ की कुल लम्बाई 3.51 कि०मी० मे पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
(iii) कमरगावां डांड़ की कुल लम्बाई 7.50 कि०मी० में पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
(iv) फूसना डांड़ की कुल लम्बाई 5.16 कि०मी० में पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

इस योजना के कार्यान्वयन से कुल 1100 हे० कमाण्ड क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया जा सकेगा, जिससे मुंगेर जिलांतर्गत तारापुर एवं संग्रामपुर प्रखंड तथा भागलपुर जिलांतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के कृषक लाभांवित होंगे।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

चांदन नदी से निःसृत कतरिया नदी पर बांका जिला के रजौन प्रखंड अंतर्गत बरौनी ग्राम के पास निर्मित चेकडैम के वर्तमान में कार्यरत नहीं होने से बांका जिले के रजौन प्रखंड तथा भागलपुर जिले के जगदीशपुर, गोराडीह एवं सबौर प्रखंड के किसानों में जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में इन क्षेत्रों के किसानों के बीच जल बंटवारे को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद की स्थिति के समाधान हेतु बांका जिलांतर्गत कतरिया नदी पर वीयर एवं राजडांड़ पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य की योजना तैयार की गयी है, जिसकी प्राक्कलित राशि 3519.04501 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख चार हजार पाँच सौ एक रुपये) है। योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(i) कतरिया नदी पर पूर्व से निर्मित निष्क्रिय चेकडैम को ध्वस्त कर नये वीयर का निर्माण कार्य।

(ii) वीयर के बायें भाग (लम्बाई 128 मीटर) एवं दायें भाग (लम्बाई 153 मीटर) में विंग वॉल का निर्माण कार्य।

(iii) राजडांड़ में क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य।

(iv) राजडांड़ में पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त गाईड वॉल (लम्बाई 120 मीटर) को ध्वस्त कर क्रॉस रेगुलेटर के बायें एवं दायें तरफ 64 मीटर की लम्बाई में विंग वॉल का निर्माण कार्य।

(v) 05 अदद आउटलेट का निर्माण कार्य।

(vi) नहर का उड़ाही एवं जंगल सफाई कार्य।

(vii) यांत्रिक कार्य अंतर्गत गेट एवं फॉलिंग शटर का अधिष्ठापन कार्य।

इस योजना के कार्यान्वयन से बांका जिला के रजौन प्रखंड में 300 हे० एवं भागलपुर जिला के जगदीशपुर, गोराडीह एवं सबौर प्रखंड में 700 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

6/2

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर के 37.91 कि०मी० से रिउर शाखा नहर निकलती है, जिसकी लंबाई 29.90 कि०मी० है। रिउर शाखा नहर के 7.16 कि०मी० से विशुनपुर उपवितरणी निकलती है, जिसकी लंबाई 23.78 कि०मी० है। वर्ष 2011 में नवीनगर में एन०टी०पी०सी० द्वारा पावर प्लांट के निर्माण किये जाने के पश्चात् विशुनपुर उपवितरणी के 14.02 कि०मी० के नीचे सिंचाई बाधित हो गई एवं 14.02 कि०मी० से 19.82 कि०मी० तक एन०टी०पी०सी० के चाहरदिवारी के अंदर चला गया। वर्त्तमान में विशुनपुर उपवितरणी के 19.82 कि०मी० से 23.78 कि०मी० तक सिंचाई सुविधा बाधित है। साथ ही विशुनपुर उपवितरणी के 15.98 कि०मी० से निकलने वाली नरारीकला लघु नहर से भी सिंचाई बाधित हो गई है।

इस योजना के माध्यम से सोन नदी में इनटेक वेल का निर्माण करते हूए 51 घनसेक जलश्राव उद्‌वह कराकर विशुनपुर उपवितरणी के 19.82 कि०मी० पर एवं इससे निकलने वाली नरारीकला लघु नहर में फीड किये जाने का प्रावधान है। इससे औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत नरारीकला, बेनीबिगहा, ससना एवं अन्य ग्राम तथा बारूण प्रखंड अंतर्गत तेंदुआ, विशुनपुर, बाघा, सहसपुर, दरियाबाद, महद्‌ी, अम्बा, लखैपुर, जंगीबिगहा, सदुरी एवं अन्य गाँव के 2059 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी।

योजना की प्राक्कलित राशि 13154.00 लाख रूपये (एक सौ ईक्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) है। इसे जून, 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

13/2

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

46

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

अदरी नदी, औरंगाबाद शहर के बीच से गुजरती है, जो पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल देव प्रखण्ड के अदरी गाँव से माना जाता है। यह नदी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। इस नदी के किनारे दूर–दराज एवं आस–पास के लोगों द्वारा छठ महापर्व मनाया जाता है। शहर के बीचों–बीच से गुजरने के कारण यह पर्यटन एवं शहरी सौन्दर्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। इस योजना के अधीन नगर परिषद् औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौन्दर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य कराया जायेगा, जिससे औरंगाबाद शहर के आम जनता लाभान्वित होंगे।

योजना की प्राक्कलित राशि 7477.88878 लाख रूपये (चौहत्तर करोड़ सत्तहत्तर लाख अठ्ासी हजार आठ सौ अठहत्तर रूपये) है। इसे जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

6.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोरहर नदी पर कोठी वीयर के निर्माण एवं इससे निःसृत पईन के पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 88.1249 करोड़ (अट्ठासी करोड़ बारह लाख उनचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोरहर नदी पर कोठी वीयर का निर्माण एवं इससे निःसृत पईन का पुनर्स्थापन कार्य का स्थल निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग 20 वर्ष पूर्व स्टोन चुनाई कर नदी के बायें छोर से दायें छोर तक (नदी की चौड़ाई में) दीवार रूपी संरचना का निर्माण किया गया था।

पूर्व में इसी दीवार रूपी संरचना के अपसाईड में नदी का जल एकत्रित कर पईन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी, परन्तु वर्तमान में दीवार रुपी संरचना के क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है।

कोठी वीयर का बायाँ एफ्लक्स बाँध बिहार राज्य प्रान्त के गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखण्ड के कोठी ग्राम में अवस्थित है। जबकी दायाँ एफ्लक्स बाँध का भू–भाग झारखंड राज्य प्रान्त के चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है। अतः यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है, जिस पर झारखंड सरकार से अनुमति लेना समीचीन प्रतीत होता है। इसपर विभागीय पत्रांक 252 दिनांक 05.02.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को प्रस्तावित कोठी वीयर का दायाँ एफ्लक्स बाँध का भू–भाग झारखंड राज्य के चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत आने के कारण जिला पदाधिकारी, चतरा से समन्वय स्थापित करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

कोठी पईन बीकोपुर पंचायत के कोठी गाँव से शुरु होकर लावावार प्रखंड के बाराकला गाँव तक निर्मित है, जिसकी कुल लम्बाई 4.02 कि०मी० है।

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वीयर के निर्माण होने से कोठी पईन के अंतिम छोर तक जल प्रवाहित होगी। उसके बाद स्वतः ही खेतों से बहते हुए आगे की ओर अवस्थित आहर में गिरेगी एवं वहाँ से निःसृत पईन के माध्यम से आगे की ओर करीब 6.00 कि०मी० तक जायेगी, जिससे इस योजना के

माध्यम से कुल 2690.00 हेक्टयेर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा इस क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

इस योजना के निर्माण होने से ईमामगंज प्रखंड के कई गाँव यथा कोशमाही, देवरिया, बाराकला, निमा, अकौनी, तेतरिया, डुमरी, यमुना, पाँती, लावावार, बतसपुर, मंझियावां आदि गाँव लाभान्वित होंगे।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(i) ए–प्रीलिमिनरी :- इस शीर्ष के अन्तर्गत प्री–लेवल एवं पोस्ट लेवल विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी आदि हेतु एकमुस्त राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) सी–वर्क :- इस शीर्ष के अन्तर्गत मोरहर नदी पर कोठी वीयर का निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

(iii) डी–रेगुलेटर :- इस शीर्ष के अन्तर्गत पईन के लिए वीयर के बायें तरफ से हेड रेगुलेटर के निर्माण कार्य का प्रावधान के साथ–साथ पईन के विभिन्न बिन्दुओं पर 10 अदद् आउटलेट के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

(iv) जी–ब्रीज :- इस शीर्ष के अन्तर्गत कोठी पईन के बिन्दु 0.1 कि०मी० एवं 1.0 कि०मी० पर बॉक्स कल्भर्ट के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

(v) एल–अर्थ वर्क :- इस शीर्ष के अन्तर्गत कोठी वीयर से निःसृत पईनों का पुनर्स्थापन कार्य हेतु मिट्टी कार्य का प्रावधान किया गया है।

(vi) के–बिल्डिंग :- इस शीर्ष के अन्तर्गत शीर्ष नियामक पर स्काडा सिस्टम के संचालन आदि के लिए ऑपरेटर रूम (एक अदद् कमरा, स्टोर रूम, ट्वायलेट) के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

योजना को अगस्त, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 2690 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

56

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

अदरी नदी, औरंगाबाद शहर के बीच से गुजरती है, जो पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्‌गम स्थल देव प्रखण्ड के अदरी गाँव से माना जाता है। यह नदी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। इस नदी के किनारे दूर–दराज एवं आस–पास के लोगों द्वारा छठ महापर्व मनाया जाता है। शहर के बीचों–बीच से गुजरने के कारण यह पर्यटन एवं शहरी सौन्दर्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। इस योजना के अधीन नगर परिषद् औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौन्दर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य कराया जायेगा, जिससे औरंगाबाद शहर के आम जनता लाभान्वित होंगे।

योजना की प्राक्कलित राशि 7477.88878 लाख रूपये (चौहत्तर करोड़ सत्तहत्तर लाख अठ्‌ासी हजार आठ सौ अठहत्तर रूपये) है। इसे जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

6.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोरहर नदी पर कोठी वीयर के निर्माण एवं इससे निःसृत पईन के पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 88.1249 करोड़ (अट्ठासी करोड़ बारह लाख उनचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोरहर नदी पर कोठी वीयर का निर्माण एवं इससे निःसृत पईन का पुनर्स्थापन कार्य का स्थल निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग 20 वर्ष पूर्व स्टोन चुनाई कर नदी के बायें छोर से दायें छोर तक (नदी की चौड़ाई में) दीवार रूपी संरचना का निर्माण किया गया था।

पूर्व में इसी दीवार रूपी संरचना के अपसाईड में नदी का जल एकत्रित कर पईन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी, परन्तु वर्तमान में दीवार रुपी संरचना के क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है।

कोठी वीयर का बायाँ एफ्लक्स बाँध बिहार राज्य प्रान्त के गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखण्ड के कोठी ग्राम में अवस्थित है। जबकी दायाँ एफ्लक्स बाँध का भू–भाग झारखंड राज्य प्रान्त के चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है। अतः यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है, जिस पर झारखंड सरकार से अनुमति लेना समीचीन प्रतीत होता है। इसपर विभागीय पत्रांक 252 दिनांक 05.02.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को प्रस्तावित कोठी वीयर का दायाँ एफ्लक्स बाँध का भू–भाग झारखंड राज्य के चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत आने के कारण जिला पदाधिकारी, चतरा से समन्वय स्थापित करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

कोठी पईन बीकोपुर पंचायत के कोठी गाँव से शुरु होकर लावावार प्रखंड के बाराकला गाँव तक निर्मित है, जिसकी कुल लम्बाई 4.02 कि०मी० है।

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वीयर के निर्माण होने से कोठी पईन के अंतिम छोर तक जल प्रवाहित होगी। उसके बाद स्वतः ही खेतों से बहते हुए आगे की ओर अवस्थित आहर में गिरेगी एवं वहाँ से निःसृत पईन के माध्यम से आगे की ओर करीब 6.00 कि०मी० तक जायेगी, जिससे इस योजना के

माध्यम से कुल 2690.00 हेक्टयेर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा इस क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

इस योजना के निर्माण होने से ईमामगंज प्रखंड के कई गाँव यथा कोशमाही, देवरिया, बाराकला, निमा, अकौनी, तेतरिया, डुमरी, यमुना, पाँती, लावावार, बतसपुर, मंझियावां आदि गाँव लाभान्वित होंगे।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(i) ए–प्रीलिमिनरी :- इस शीर्ष के अन्तर्गत प्री–लेवल एवं पोस्ट लेवल विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी आदि हेतु एकमुस्त राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) सी–वर्क :- इस शीर्ष के अन्तर्गत मोरहर नदी पर कोठी वीयर का निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

(iii) डी–रेगुलेटर :- इस शीर्ष के अन्तर्गत पईन के लिए वीयर के बायें तरफ से हेड रेगुलेटर के निर्माण कार्य का प्रावधान के साथ–साथ पईन के विभिन्न बिन्दुओं पर 10 अदद् आउटलेट के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

(iv) जी–ब्रीज :- इस शीर्ष के अन्तर्गत कोठी पईन के बिन्दु 0.1 कि०मी० एवं 1.0 कि०मी० पर बॉक्स कल्भर्ट के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

(v) एल–अर्थ वर्क :- इस शीर्ष के अन्तर्गत कोठी वीयर से निःसृत पईनों का पुनर्स्थापन कार्य हेतु मिट्टी कार्य का प्रावधान किया गया है।

(vi) के–बिल्डिंग :- इस शीर्ष के अन्तर्गत शीर्ष नियामक पर स्काडा सिस्टम के संचालन आदि के लिए ऑपरेटर रूम (एक अदद् कमरा, स्टोर रूम, ट्वायलेट) के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

योजना को अगस्त, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 2690 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा अन्तर्गत सकरी सिंचाई योजना के वाजिदपुर से निःसृत मिरजैन नहर प्रणाली (0.00 कि०मी० से 28.20 कि०मी०), बरगैन वितरणी (0.00 कि०मी० से 11.50 कि०मी०) एवं मिरजैन वितरणी के 10.00 कि०मी० से निःसृत तेउसाईन ब्रांच कैनाल (0.00 कि०मी० से 8.00 कि०मी०) एवं बरगैन वितरणी के 6.50 कि०मी० से निःसृत ओनामा वितरणी (0.00 कि०मी० से 12.00 कि०मी०) तक का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानबे करोड़ सात लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

बिहार राज्य के दक्षिण भू–भाग में सकरी एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पूर्णतः वर्षा आधारित नदी है। यह नदी झारखण्ड राज्य से बिहार के नवादा एवं नालंदा जिलों से बहते हुए मोकामा टाल में विलिन हो जाती है। इस प्रकार यह नदी काफी लम्बी दूरी तय करती है, जिसके कारण इसका जल ग्रहण क्षेत्र काफी ज्यादा है।

इस नदी में उपलब्ध पानी से खरीफ सिंचाई में वृद्धि की काफी संभावनाएँ है। सकरी नदी पर नवादा जिला के पौरा में वीयर निर्मित है, जिससे नालंदा, नवादा एवं शेखपुरा जिलों के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में सकरी सिंचाई योजना अन्तर्गत दायां मुख्य नहर के 19.67 कि०मी० के ग्राम वाजिदपुर से निःसृत मिरजैन नहर प्रणाली (0.00 किमी० से 28.00 किमी०) तक, मिरजैन वितरणी के 10.00 किमी० से निःसृत तेउसाईन ब्रांच कैनाल (0.00 किमी० से 8.00 किमी०) तक एवं बरगैन वितरणी (0.00 किमी० से 11.50 कि०मी०) के 6.50 कि०मी० से निःसृत ओनामा वितरणी (12.00 कि०मी०) के द्वारा शेखपुरा जिला के शेखोपुरसराय प्रखंड एवं बरबीघा प्रखंड तथा नालंदा जिला के अस्थावां एवं सरमेरा प्रखंड के लगभग 80 गाँवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के माध्यम से मिरजैन लिंक चैनल (लम्बाई 7.2 कि०मी०), मिरजैन वितरणी (लम्बाई 21.00 कि०मी०), तेउसाईन ब्रांच कैनाल (लम्बाई 8.00 कि०मी०) एवं ओनामा वितरणी (लम्बाई 12.00 कि०मी०) का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य तथा बरगैन वितरणी (लम्बाई 11.50 कि०मी०) का लाईनिंग कार्य का प्रावधान किया गया है। साथ ही मिरजैन नहर प्रणाली से निकलने वाली छोटी–छोटी पईन (बेलाव पईन–3.00 कि०मी०, रजौरा पईन 5.00 कि०मी०, बभनविघा पईन 0.7 कि०मी०, मौर पईन 1.00 कि०मी०, केउटाईन पईन 7.00 कि०मी०, जगदीशपुर पईन 4.00 कि०मी०) एवं बरगैन नहर के 6.5 कि०मी० से निःसृत ओनामा वितरणी 12.00 कि०मी० का पुनस्थापन कार्य भी किया गया है।

मिरजैन नहर प्रणाली एवं बरगैन नहर प्रणाली में आने वाली आउटलेटों, फॉलों एवं पुल–पुलियों का भी जिर्णोद्धार कार्य प्रावधान किया गया है।

मिरजैन वितरणी के 10.41 कि०मी० से 12.66 कि०मी० तक, 16.26 कि०मी० से 17.01 कि०मी० तक एवं तेउसाईन ब्रांच कैनाल के 0.69 कि०मी० से 2.22 कि०मी० तक नगर परिषद बरबीघा एवं ग्राम पांकपर कैनाल के दोनो तरफ मकान का निर्माण कर लिया गया है। वर्णित लम्बाई में आर०सी०सी० कॉभर नाला का निर्माण कराकर जलश्राव को नहर के अंतिम छोर तक पहुँचाने का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में 4132 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् कुल 9500 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(i) मिरजैन लिंक चौनल – 7.2 किमी० (पुनर्स्थापन / लाईनिंग)
(ii) मिरजैन वितरणी – 21.00 कि०मी० (पुनर्स्थार्पन / लाईनिंग)
(iii) तेउसाईन ब्रांच कैनाल – 8.00 कि०मी० (पुनर्स्थापन / लाईनिंग)
(iv) बेलाव पईन – 3.00 कि०मी०, रजौरा पईन – 6.5 कि०मी०, बभनविघा पईन 3.9 कि०मी०, मौर पईन – 0.9 कि०मी०, केउटाईन पईन – 6.5 कि०मी०, जगदीशपुर पईन – 4.00 कि०मी० (पुनर्स्थापन कार्य)
(v) बरगैन वितरणी – 11.50 कि०मी० (लाईनिंग)
(vi) ओनामा वितरणी – 12.00 कि०मी० (पुनर्स्थापन कार्य)
(vii) आउटलेट – 38 अद्द (जीर्णोद्धार कार्य)
(viii) प्रपातों (फॉल) – 11 अद्द (जीर्णोद्धार कार्य)
(ix) पुल / पुलिया – 09 (जीर्णोद्धार कार्य)
(x) आर०सी०सी० कभर नाला का निर्माण – 3.78 कि०मी०

योजना को अगस्त, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 5368 हे० सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

49

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषण के आलोक में गया जिलान्तर्गत बतसपुर वीयर योजना अंतर्गत मोराटाल मुख्य पईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 77.5967 करोड़ (सतहत्तर करोड़ उन्सठ लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

मोराटाल मुख्य पईन की कुल लम्बाई 20.50 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं लाईनिंग कार्य, भोरे गाँव को पानी पहुँचाने हेतु मोराटाल मुख्य पईन के 14.30 कि०मी० से बैजल तेतरीया एवं चिरैला तेतरीया पईन का चौड़ीकरण तथा चिरैला पईन का विस्तारीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसमें बैजल तेतरीया पईन 1.9 कि०मी०, चिरैला तेतरीया पईन 1.1 कि० मी० का चौड़ीकरण एवं चिरैला पईन 09 कि0मी0 में विस्तारीकरण कार्य भी प्रावधान भी किया गया है।

इस योजना के चौड़ीकरण एवं लाईनिंग का कार्य कराने से पईन के रूपांकित जलश्राव को अन्तिम छोर तक पहुँचाया जा सकेगा।

इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भोरे गाँव को पानी पहुँचाने हेतु 9.00 कि०मी० की लम्बाई में पईन को विस्तारित कर अन्तिम छोर तक जलश्राव पहुँचाकर लक्ष्य 8450 हे० सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त 1250 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा सफलतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

सभी संरचनाओ में नियंत्रित जलश्राव प्रवाहित करने हेतु यांत्रिक गेटों का भी प्रावधान किया गया है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात बोधगया एवं मानपुर प्रखण्ड के पूर्व से लाभान्वित ग्रामों के अतिरिक्त मानपुर प्रखण्ड के मायापुर, हरली, करमचक, सनौत, नीमा, करमचक, भारे आदि गाँव भी लाभान्वित होंगे।
इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :-

(i) मोराटाल मुख्य पईन (लम्बाई 20.50 कि०मी०) का लाईनिंग कार्य।
(ii) मोराटाल पईन में 05 अदद् हेड रेगुलेटर
(iii) मोराटाल पईन में 01 अदद् स्केप रेगुलेटर
(iv) मोराटाल पईन में 01 अदद् क्रॉस रेगुलेटर
(v) बैजल तेतरीया पईन में 01 अदद् क्रॉस रेगुलेटर
(vi) चिरैला तेतरीया पईन में 01 अदद् क्रॉस रेगुलेटर
(vii) चिरैला तेतरीया पईन में 01 अदद् हेड रेगुलेटर
(viii) चिरैला पईन में 03 अदद् हेड रेगुलेटर
(ix) चिरैला पईन में 01 अदद् क्रॉस रेगुलेटर
(x) चिरैला पईन में 05 अदद् एकपथीय सेतु

(xi) सभी संरचनाओ में यांत्रिक कार्य।

योजना को अगस्त, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 1250 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

50

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में दिनांक–15.02.2025 को बक्सर जिला में भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा घोषणा के आलोक में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण तथा सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना है। प्रस्तावित योजना की प्राक्कलित राशि–18126.863 लाख रुपये (रूपये एक सौ इक्यासी करोड़ छब्बीस लाख छियासी हजार तीन सौ रूपये मात्र) है। योजना के कार्यान्वयन से बक्सर जिले के कई गाँव जैसे–केशोपुर, नगपुरा, मझरिया, खेरा, सिमरी, सिमरी इगलेश, मानिकपुर, छोटका राजपुर, बड़का राजपुर, राजपुर कला, नियाजीपुर, गंगौली, महुआर, नैनीजोर एवं कई छोटी बस्तियों को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त इससे तटबंध के रख–रखाव के लागत में भी बचत होगी। प्रस्तावित कालीकृत सड़क के निर्माण से न केवल तटबंध सुरक्षित होगा बल्कि परिवहन में भी आसानी होगी । इस प्रकार यह योजना जनोपयोगी है।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सन्निहित है:–

(i) बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 51.72 के बीच आवश्यक स्थानों पर तटबंध के कालीकरण का कार्य ।

(ii) बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 51.72 के बीच आवश्यक स्थानों पर सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य ।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में नालंदा जिलांतर्गत सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन पंचाने सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन, प्राक्कलित राशि ₹ 5000.00 लाख (पचास करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

पंचाने सिंचाई योजना से निःसृत नहर प्रणाली का कुल सी०सी०ए० 10,000 हे० है। इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 4000 हे० सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, जिससे नालंदा जिला के गिरियक, राजगीर, नालंदा एवं बिहारशरीफ प्रखंड लाभन्वित हो सकेंगे।

नालंदा जिले में बहने वाली सभी नदियाँ वर्षा पर आधारित हैं। पंचाने नदी उनमें से एक है। पंचाने नदी की 5 मुख्य सहायक नदियाँ यथा ढ़ाढ़र, तिलैया, धनराजी, सोभी और खुरी नदी हैं, जिसका उद्गम हजारीबाग और गया जिले के विभिन्न पहाड़ियों से होता है। नदी का लगभग 1000 वर्ग मील का बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भी है।

पंचाने नदी पर गिरियक ग्राम में बांध का निर्माण वर्ष 1963 में पूरा हुआ था। इस योजना की परिकल्पना मूल रूप से खरीफ धान के लिए की गई थी, जो पंचाने नहर प्रणाली की प्रमुख फसल है।

पंचाने सिंचाई योजना, बिहार में सिंचाई का एक पुराना साधन है, जो वर्ष 1963 से पंचाने नदी बेसिन के पानी का उपयोग कर रही है। इस योजना को रू० 61.70 लाख की लागत से चालू किया गया था।

बिहार के पटना जिले के पुराने पंचाने नहर में 185 मीटर लम्बाई का वीयर बनाया गया था, साथ ही दायाँ एवं बायाँ मुख्य नहर के लिए हेडवर्क भी बनाया गया था। दायाँ मुख्य नहर के लिए हेडवर्क की चौड़ाई 6.10 मीटर है, बायाँ मुख्य नहर के लिए हेडवर्क की चौड़ाई 8.53 मीटर है तथा प्रत्येक नहर का एफ०एस०डी० क्रमशः 1.067 मीटर और 1.067 मीटर है।

दायाँ एवं बायाँ मुख्य नहर का डिस्चार्ज क्रमशः 150 क्यूसेक और 218 क्यूसेक है, जिसकी सिंचाई क्षमता 10000 हेक्टेयर (दायाँ–4000 हेक्टेयर एवं बायाँ–6000 हेक्टेयर) थी।

नहर प्रणाली के कुछ भाग में रिसाव होता है, जिससे पानी की हानि होती है, अंततः इसके सिंचाई कमांड क्षेत्र में कमी हो जाती है। इसलिए उपलब्ध पानी का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती आबादी की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ जाएगी। लोगों की आजीविका के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन बहुत आवश्यक है। सीमित असमान तथा अविश्वसनीय वर्षा के साथ कृषि में सिंचाई की भूमिका स्थायी महत्व की है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा सिंचाई नहर प्रणाली का नवीनीकरण महत्वपूर्ण है।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :-

(i) दायाँ मुख्य नहर (लंबाई 17.80 कि०मी०) – प्रथम रीच की लम्बाई 2.28 कि०मी०, दूसरी रीच की लम्बाई 6.00 कि०मी० तथा तीसरी रीच की लम्बाई 9.52 कि०मी० है। इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य, 9 अदद् आउटलेट, 2 अदद् एस.एल.आर. एवं 2 अदद् डी.एल.आर. का पुनर्स्थापन तथा प्रथम रीच के 2.280 कि०मी० की लंबाई में लाइनिंग कार्य।

(ii) रायतर वितरणी (लंबाई 6.00 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य।

(iii) प्यारेपुर वितरणी (लम्बाई 2.00 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य।

(iv) घोसरामा वितरणी (लंबाई 6.000 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य।

(v) बायां मुख्य नहर (लंबाई 13.485 कि०मी०) – प्रथम रीच की लम्बाई 3.36 कि०मी०, दूसरी रीच की लम्बाई 4.89 कि०मी०, तीसरी रीच की लम्बाई 5.235 कि०मी० है। इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य, 8 अदद् आउटलेट, 1 अदद् एच०आर०, 1 अदद् साईफन एक्वाडक्ट, 4 अदद् एस.एल.आर., 2 अदद् डी.एल.आर. एवं 2 अदद् आर०सी०सी० कल्भर्ट का पुनर्स्थापन तथा प्रथम रीच के 3.50 कि०मी० की लंबाई में लाइनिंग कार्य।

(vi) राजगीर वितरणी (लंबाई 6.000 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य।

(vii) नानंद वितरणी (लंबाई 8.520 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य। इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य, 3 अदद् आउटलेट, 1 अदद् साईफन एक्वाडक्ट, 4 अदद् डी.एल. आर. तथा पूरी लंबाई में लाइनिंग कार्य।

(viii) नालंदा वितरणी (लंबाई 8.210 कि०मी०) – इस नहर को रूपांकण क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य हेतु 4 अदद् आउटलेट, 3 अदद् साईफन एक्वाडक्ट तथा 1 अदद् एस.एल.आर., कुल पईन की पूरी लम्बाई में मिट्टी कार्य तथा 3 अदद् आउटलेट का निर्माण कार्य।

(ix) पंचने नदी के वीयर के अपस्ट्रीम में 50 मीटर की लंबाई में गाद निकालने का कार्य।

योजना को अगस्त, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 4000 हे० सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

52

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

बक्सर जिलान्तर्गत कॉव नदी पर उद्‌वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य का मुख्य उद्देश्य केसठ–3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी के अंतिम बिन्दु तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना है।

पूर्व से कार्यान्वित मलई बराज योजना अंतर्गत बराज निर्मित है। बराज निर्माण के फलस्वरूप डूब क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिना डूब क्षेत्र उत्पन्न किये मलई बराज के निकट पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

योजना के कार्यान्वयन से केसठ–3 वितरणी में 110.00 क्यूसेक एवं भोजपुर वितरणी में 90.00 क्यूसेक अतिरिक्त जलश्राव प्रवाहित कराकर बक्सर जिला के नावानगर, चौगाई, डुमराँव, केसठ, ब्रह्मपुर तथा रोहतास जिला के दावथ प्रखंड अंतर्गत कुल 8630.00 हे० कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पुर्नस्थापित किया जा सकेगा।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में बक्सर जिलान्तर्गत "उद्‌वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 20495.64 लाख रूपये (दो सौ चार करोड़ पंचानवे लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र" है। इसे माह जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

53

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

कैमूर जिलान्तर्गत सोन–कोहिरा लिंक सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य कोहिरा नदी पर निर्मित राजपुर वियर से निःसृत कोहिरा नहर प्रणालियों में सिंचाई हेतु जलश्राव की कमी को दूर करना है।

योजना के कार्यान्वयन से सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज से निकलने वाली सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के अधिशेष जल को कोहिरा नदी में निर्मित राजपुर वियर के अपस्ट्रीम में संग्रहित कर कैमूर जिलान्तर्गत भगवानपुर, चैनपुर एवं चाँद प्रखंड के 970 हे० कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का पुनर्स्थापन कराते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः सोन नदी में उपलब्ध जल का पुर्णतः उपयोग करने हेतु सोन–कोहिरा लिंक सिंचाई योजना कराने की आवश्यकता है।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत "सोन–कोहिरा लिंक सिंचाई योजना, प्राक्कलित राशि 15454.28 लाख रूपये (एक सौ चौवन करोड़ चौवन लाख अठाईस हजार रूपये) मात्र" है। इसे जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

21/2/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

(54)

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में दिनांक–20.02.2025 को नालंदा जिला में भ्रमण के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक पंचाने नदी में पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं रीवर फ्रंट विकास कार्य (प्राक्कलित राशि–4248.59 लाख रुपये) (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) कराया जाना है ।

योजनान्तर्गत पक्का सिढ़ीनुमा सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने से बाढ़ से आस–पास बसें हुये लोगों का बचाव होगा। नदी तट का विकास कार्य, जमीन का सतहीकरण कार्य, पार्क निर्माण कार्य, पैदलपथ निर्माण तथा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य कराये जाने से नगरवासियों एवं आस–पास के लोगों को स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन हेतु खुला स्थल भी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही साथ राजगीर जाने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा एवं छठ पर्व के समय नगरवासियों को पर्व करने में सुविधा प्रदान हो सकेगी। इस प्रकार यह योजना जनोपयोगी है।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सन्निहित है :–

योजना के तहत पंचाने नदी के दोनों तट पर कोसुक घाट के समीप सीढ़ीनुमा सुरक्षात्मक कार्य, लैंड स्केपिंग, पाथ–वे, पार्क एवं जी0 एस0 बी0 रोड तथा एफ0 ओ0 बी0 का निर्माण किया जाना है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में दिनांक–16.02.2025 को भोजपुर जिला में भ्रमण के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में भोजपुर जिलान्तर्गत चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि0मी0 की लंबाई में गांगी नदी के दायें बाँध (आरा शहर सुरक्षा बाँध) पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1.00 कि0मी0 की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बायें बाँध पर पक्कीकरण कार्य कराया जाना है। प्रस्तावित योजना की प्राक्कलित राशि (प्राक्कलित राशि–3130.865 लाख रुपये) (इक्तीस करोड़ तीस लाख छियासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) है ।

इस योजना अंतर्गत भोजपुर जिले के पूर्वी गांगी नदी के दाएं भाग में निर्मित आरा शहर सुरक्षा तटबंध के पक्कीकरण के फलस्वरूप (एन०एच०–84 से एन०एच०–30) सड़क मार्ग से सम्पर्कता में वृद्धि होगी एवं यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग विकसित होगा। बाढ़ अवधि के दौरान तटबंध के बेहतर निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार भोजपुर जिला को गांगी नदी की बाढ़ से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रकार यह योजना जनोपयोगी है।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सन्निहित है :–

(i) भोजपुर जिलान्तर्गत चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि0मी0 की लंबाई में गांगी नदी के दायें बाँध (आरा शहर सुरक्षा बाँध) पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1.00 कि0मी0 की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बायें बाँध पर पक्कीकरण कार्य ।

(ii) पी0 पी0 रोप गैबियन टो एवं जियो बैग स्लोप पिचिंग के साथ तटबंध पर सुरक्षात्मक कार्य।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

56

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जमानियाँ के पास गंगा नदी पर पम्प हाउस का निर्माण कर गंगा के जल को उद्‌वह करके बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत ककरैत घाट के कर्मनाशा नदी में अतिरिक्त जलश्राव उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

योजना के कार्यान्वन से कर्मनाशा नदी पर निर्मित कर्मनाशा पम्प/विश्वकर्मा पम्प के माध्यम से रामगढ़, दुर्गावती एवं नुआँव प्रखंड के कुल 10,000 हे० क्षेत्र में संचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत "जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उद्‌वह सिंचाई योजना, प्राक्कलित राशि 52844.37 लाख रूपये (पाँच सौ अठाईस करोड़ चौवालीस लाख सैतीस हजार रूपये) मात्र" है। इस योजना को जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बरनार जलाशय योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1976 में 8.04 करोड़ रुपये के लिए प्रदत्त की गई थी। इस योजना के निर्माण हेतु पुनः वर्ष 1985 में 83.81 करोड़ रूपये एवं वर्ष 1998 में 216.23 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं वितरण प्रणालियों में कार्य प्रारंभ कर दायां एवं बायां मुख्य नहर तथा संरचनाओं का आंशिक निर्माण कार्य एवं सोनो काउजवे का निर्माण कार्य कराया गया। साथ ही योजनांतर्गत आवासीय भवन एवं कार्यालय भवन का भी निर्माण कार्य कराया गया। परन्तु वांछित 460 हे० (1135.87 एकड़) वन भूमि अपयोजन तथा भू–अर्जन नहीं होने के कारण इस योजना का कार्य वर्ष 1992–93 में बंद करना पड़ा।

योजनांतर्गत वांछित वनभूमि का अपयोजन नहीं होने के कारण वर्ष 1996 में एकरारनामा विखण्डित कर दिया गया। वर्तमान में पूर्व से निर्मित नहर एवं संरचनायें जर्जर अवस्था में है।

प्रस्तावित योजनांतर्गत जमुई जिला के सोनो प्रखंड में किउल नदी की सहायक बरनार नदी पर कटहराटॉड़ ग्राम के पास कंक्रीट डैम एवं नहरों का निर्माण किया जाना है, जिसकी प्राक्कलित राशि 2579.3785 करोड़ रुपये है। योजना का लाभ–लागत अनुपात 1.12:1 है।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

i. कंक्रीट डैम (लम्बाई–285 मी०, ऊँचाई–74.31 मी०) का निर्माण कार्य।

ii. डैम से निःसृत दायां (17.21 कि०मी०) एवं बायां (24.91 कि०मी०) ओपन लाईन्ड मुख्य नहर का निर्माण कार्य।

iii. मुख्य नहरों से निःसृत वितरण प्रणाली एवं जलवाहा का पाईपलाईन नेटवर्क के रूप में निर्माण कार्य।

योजना कार्य को 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के कार्यान्वियन से जमुई जिला के सोनो, झाझा, खैरा एवं गिद्धौर प्रखंड के 22,226 हे० कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

59

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आनन्दपुरी नाला (बाबा चौक–अटल पथ–ए०एन० कॉलेज इदिंरा सिन्हा पथ–राजापुर पुल) योजना हेतु कुल राशि ₹9127.00 लाख (एकानबे करोड़ सताईस लाख रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

59

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

|| प्रेस नोट ||

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला का निर्माण (राजीव नगर डी०पी०एस० से शकुंतला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक) योजना हेतु कुल राशि ₹18099.00 लाख (एक सौ अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

20/2/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

60

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम, सहरसा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सहरसा स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कुल ₹13790.39261 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ नब्बे लाख उनचालीस हजार दो सौ एकसठ रू०) मात्र की स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

2/5/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

61

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत 44 वार्डों के बढ़े हुये क्षेत्र एवं नये आवासित घरों के लिये जलापूर्ति हेतु कुल ₹20061.22161 लाख (दो सौ करोड़ एकसठ लाख बाईस हजार एक सौ एकसठ रू०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayans suchi doc

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

62

।। प्रेस नोट।।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर परिषद्, बाढ़ क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी के किनारे उमानाथ घाट के विकास कार्य हेतु कुल राशि ₹5385.05000 लाख (तिरपन करोड़ पचासी लाख पाँच हजार रू०) मात्र की योजना. को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

25/2

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayanv suchi.doc

(63)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

औरंगाबाद जिलान्तर्गत ग्राम जम्होर (105) एवं सरसौली (290) को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत, जम्होर का दर्जा प्रदान करने के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में शहरीकरण वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं लाभ प्राप्त होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 9.17 वर्ग कि0मी0 तथा कुल जनसंख्या 13537 हो जायेगी।

25/1/15

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

64

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

प्रगति यात्रा के क्रम में गया वन प्रमंडल, गया के तहत बराबर पहाड़ में पारिस्थितिकी पर्यटन (ईको टूरिज्म) और पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्य हेतु इको–पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत कुल ₹4998.34 लाख (उन्चास करोड़ अंठानवे लाख चौतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

18/2/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव

(65)

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर स्थित ब्रह्मकुण्ड का समग्र विकास हेतु प्राक्कलित राशि 49,87,00,000/-- (उनचास करोड़ सतासी लाख) रूपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत पुराना चहारदिवारी तोड़कर नया चहारदिवारी का निर्माण, पार्किंग, पब्लिक प्लाजा, पर्यटक सुविधा केन्द्र, नया थिमेटिक प्रवेश द्वार, एमरजेंसी प्रवेश द्वार एवं रोड, पाथवे, पूर्व घाट का जीर्णोद्धार, आंतरिक रोड एवं पाथवे, कैम्पस एवं स्ट्रीट का इलुमिनेशन, लैण्डस्केपिंग, ओपेन एरिया एवं ग्रिन एरिया का निर्माण, लैण्ड वाटर हार्वेस्टिंग, पूर्व पुल का जीर्णोद्धार, सोलर पार्किंग शेड, फेरेड डेवलपमेंट एवं अन्य आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड होगा।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
24/02/2025

66

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब में तख्त श्री हरिमंदिर जी, कंगन घाट में मल्टी-लेवल पार्किंग के विकास हेतु प्राक्कलित राशि 99,26,56,000/-(निन्यानवे करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार) रूपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत G+4 स्तरीय मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण, लिफ्ट की सुविधा, वाटर टैंक, सी.सी.टी.वी. सिस्टम तथा साइट के विकास से संबंधित कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
14/01/2025

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत गाँधी मैदान के नजदीक पटना हाट के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 48,96,52,000/– (अड़तालिस करोड़ छियानवे लाख बावन हजार) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत अन्डरग्राउण्ड पार्किंग, सर्फेश पार्किंग, इम्पोरियम (तीन मंजिल), दो अदद रेस्टुरेंट, गेम जोन, फायर फाईटिंग, फायर अलार्म, लिफ्ट, वाटर टैंक, स्थलीय विकास, चहारदिवारी का निर्माण, जेनेरेटर सेट, सी०सी०टी०वी० सिस्टम, सोलर पावर जेनेरेशन सिस्टम, स्ट्रीट लाईट एवं अन्य आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। योजना का स्थल गाँधी मैदान के नजदीक सभ्यता द्वार के पश्चिम चिन्हित किया गया है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
24/01/2025

68

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में शेखपुरा जिलान्तर्गत मटोखर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 49,97,20,000/– (उनचास करोड़ संतानवे लाख बीस हजार) रूपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स का स्थल विकास, पार्क का विकास, कन्वेंशन हॉल, पर्यटक गेस्ट हाउस, स्थलीय विकास, शौचालय ब्लॉक, कैफेटेरिया, साईकिल ट्रैक, पैडेस्ट्रीयन ट्रैक, पार्किंग, चाहरदिवारी, विद्युत कार्य (हाई मास्ट लाईट/स्ट्रीट लाईट), वाटर सप्लाई, तालाब की सफाई, ड्रिकिंग वाटर एवं अन्य आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड होगा।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

24/01/2025

69

प्रेस नोट

लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत गया जिला के प्रखंड–इमामगंज अंतर्गत लावाबार गाँव में मोरहर नदी पर वीयर का निर्माण किया जाना है। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा से संबंधित है। इस वीयर के अपस्ट्रीम से निःसृत पईन (लम्बाई–लगभग 06 कि0मी0) के साथ–साथ दो अदद् आहर का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है। वीयर के निर्माण एवं आहर–पईन के जीर्णोद्धार से 1200 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुर्नस्थापन/सृजन हो सकेगा। वीयर के निर्माण एवं आहर–पईन के जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने के पश्चात् इमामगंज प्रखंड के लावाबार, सोबारी, रोधा, लोकनाचक एवं झरहा–पथरा गाँव के लगभग 3000 कृषक लाभान्वित होंगे। उक्त प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन राज्य योजना अन्तर्गत कराया जायेगा। इस योजना पर कुल राशि 4587.68 लाख (पैंतालीस करोड़ सत्तासी लाख अड़सठ हजार) रूपये मात्र का व्यय होगा।

उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जायेगा।

12.02.25

सचिव
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

(70)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा में की गई घोषणा से संबंधित कैमूर जिलान्तर्गत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 6 पंचायतों के 35 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विधमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के सतही जल के उपयोग से 3.34 MLD एवं दुर्गावती नदी के सतही जल के उपयोग से 2.22 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पांच वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु योजना पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जानी है जिससे की कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड के पहाड़ी तथा दुर्गम ईलाकों में सतत् जलापूर्ति प्रदान की जा सकेगी।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

(71)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल–संग्रामपुर के मौजा–ददरी, थाना सं0–307, खाता सं0–384, खेसरा सं0–223 गैरमजरूआ खास किस्म–परती कदीम रकबा–20 एकड़ एवं मौजा–पतघाघर, थाना सं0–308, खाता सं0–90, खेसरा सं0–20 गैरमजरूआ खास किस्म–टीला रकबा–30 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–50 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :– 24/2/25
नाम :– (जय सिंह),
पदनाम :– सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(72)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में बाँका जिलान्तर्गत अंचल–कटोरिया के मौजा–करझौंसा, थाना सं0–201/02, खाता सं0–17 के विभिन्न खेसरा में 124.40 एकड़ एवं मौजा–सिरमोहडार, थाना सं0–201/03, खाता सं0–13 के विभिन्न खेसरा में 75.60 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकबा–200.00 एकड़ परती कदीम गैरमजरूआ मालिक भूमि में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु बियाडा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :– [signature] 6/01/25

नाम :– (जय सिंह),

पदनाम :– सचिव।

प्रेस नोट

73

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत वासुदेवपुर चौराहा से आई.टी.सी. पार्क, चण्डीका स्थान, नयागांव पथ एवं किला क्षेत्र पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4880.27 लाख (अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख सत्ताईस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस पथ की कुल लंबाई 10.90 कि.मी. है। भूमि की उपलब्धता के अनुसार पथ परत की चौड़ाई 7.00मी. एवं 5.50मी. का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 10 कल्भर्ट एवं 6 क्रॉस ड्रेन का प्रावधान किया गया है। यह पथ वासुदेवपुर चौराहा से आई.टी.सी. पार्क, चण्डीका स्थान, नयागांव पथ को आपस में जोड़ता है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में मुंगेर जिलांतर्गत बिहार योग विद्यालय से एन0एच0–333बी0 तक रिंग रोड एवं पहूँच पथ हेतु 12198.00 लाख (एक सौ इक्कीस करोड़ अनठानबे लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बिहार योग विद्यालय से एन0एच0–333बी0 तक 4–लेन रिंग रोड बनाने का प्रावधानं किया गया है। बिहार योग विद्यालय, मुंगेर भारत में स्थित एक प्रसिद्ध योग संस्थान है। इसने दुनियां के अनेकों योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। विषयांकित पथ के बन जाने से बिहार योग विद्यालय, मुंगेर तक आवागमन में सुविधा होगी साथ ही योग की लोकप्रियता को दुनिया भर में बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में अवस्थित नाला पर बॉक्स टाईप आर.सी.सी. संरचना का प्रावधान किया गया है जो नाला एव पुल/पथ दोनो का कार्य करेगा। पहूँच पथ में 1915मी. लंबाई में बिटुमिनस कार्य एवं 170मी0 में पी0क्यू0सी0 कार्य का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

75

प्रगति यात्रा के आलोक में सुल्तानगंज– तारापुर– संग्रामपुर– बेलहर– कटोरिया– चांदन– दर्दमारा (बिहार बॉर्डर) पथ (एस0एच0–22) का पथांश कि.मी. 0.00 से 40.00 तक (पार्ट–1) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 53453.59 लाख (पाँच सौ चौतीस करोड़ तिरपन लाख उनसठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस पथांश का प्रारंभ बिन्दु सुल्तानगंज एवं अंतिम बिन्दु बेलहर है। पथ की वर्तमान चौड़ाई 7.00मी. है। प्राक्कलन में पथ परत की प्रस्तावित चौड़ाई 2 X 7मी0 का प्रावधान है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 1/22/0 आकार का 38 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 1/33/0 आकार का 10 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट तथा 6 उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का प्रावधान किया गया है। प्रतिवेदित है कि पथांश कि.मी. 0+00 से 6+00 पथ प्रमंडल भागलपुर एवं पथांश कि.मी. 6+00 से 40+00 तक पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 36 माह प्रतिवेदित है। इस पथ के पथांश में भू–अर्जन की भी आवश्यकता है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

76

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत नेमदारगंज–रमजानपुर–कोनांद मोड़ पथ के कि.मी. 0.00 से कि0मी0 10.50 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4396.86 लाख (तैंतालीस करोड़ छियानबे लाख, छियासी हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ एन.एच–333ए के 7वें कि.मी. से प्रारंभ होती है तथा नेमदारगंज–पैन–दुल्लापुर–मापदह–खलीलचक–सामस होते हुए जिले के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल विष्णुधाम मंदिर को जोड़ते हुए नालंदा जिला के सारे–नोआवां वृहद जिला पथ को जोड़ती है। पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.75मी. है जिसे बढ़ाकर 5.50मी. करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 1/22/0 आकार का 20 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 1/44/0 आकार का 01 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। पथ के कुछ पथांश में भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 12 माह है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

77

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत तोथिया पहाड़ से कुशुम्भा भाया मटोखर दह के कि.मी. 0.00 से 7.350 तक नवीन बाईपास पथ का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4210.33 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख तैंतीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ तोथिया पहाड़ (एन0एच0–333ए) के 11वें कि.मी. से प्रारंभ होकर सुरदासपुर पहाड़, पथलाफाड़ मोड़, मटोखर दह, निर्माणाधीन पुलिस लाईन, देवरा गांव होते हुए कुशुम्भा शेखपुरा –शाहपुर (एम0डी0आर0) पथ को जोड़ती है। उक्त पथ का 2.30 कि.मी. खनन विभाग, 2.40 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल शेखपुरा, 2.00 कि.मी. पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत है। उक्त पथ में 650मी. नवीन मार्गरेखन का प्रावधान किया गया है।

पथ के कुछ पथांश में भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से कृषि संबंधित क्षेत्रों में आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

78

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के तहत पथ प्रमंडल भागलपुर एवं बांका अंतर्गत भागलपुर–अमरपुर–बांका (SH-25) पथ के पेव्ड सोल्डर सहित 2–लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु (कि.मी. 0+00 से 44+300) कुल 23933.00 लाख (दो सौ उनचालीस करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की वर्तमान चौड़ाई 7मी. एवं कुछ अंशों में 5.50मी./4.50मी. है। पथ की कुल लंबाई 44.3 कि.मी. है। प्राक्कलन में पथ को चौडीकरण कर 10मी. पथ परत निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन में विभिन्न आकार का 11 अदद् आर0सी0सी0 बाक्स कल्भर्ट, रोड फर्निचर, आर0सी0सी0 नाला निर्माण, जंक्शन इम्प्रूभमेंट कार्य का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित पथ का प्रारंभ बिन्दु मुस्लिम हाई स्कूल भागलपुर एवं अंतिम बिन्दु गांधी चौक बांका है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

79

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बांका अन्तर्गत सुल्तानगंज –तारापुर–संग्रामपुर–बेलहर–कटोरिया–चांदन–दर्दमारा (बिहार बॉर्डर) पथ (एस0एच0–22) (पार्ट–2) के कि.मी. 40.00 से 98.865 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 38587.31 लाख (तीन सौ पचासी करोड़ सत्तासी लाख इकतीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

यह सड़क बेलहर से प्रारंभ होकर दर्दमारा में समाप्त होती है। इस पथ के निर्माण होने से पथ के आस पास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था नियंत्रित किया जा सकेगा साथ ही इलाके की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। विषयांकित पथांश की कुल लंबाई 58.865 कि.मी. है। प्राप्त प्राक्कलन में वर्णित पथांश की कुल चौड़ाई 10मी0 (पेम्ड सोल्डर सहित पथ परत की चौड़ाई 7मी.) है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 1/22/0 आकार का 01 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 2/33/0 आकार का 01 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 2/22/0 आकार का 01 आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट तथा 04 अदद उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का प्रावधान किया गया है। इस पथ में भू–अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(80)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अंतर्गत अस्थावां– सकसोहरा पथ के चैनेज कि.मी. 0.00 (बेनार मोड़) से चैनेज कि.मी. 18.450 (सकसोहरा) तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9671.47 लाख (छियानबे करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु बेनार मोड़ (एन.एच–33) एवं अंतिम बिन्दु सकसोहरा (एन.एच–431) है। पथ की कुल लंबाई 18.450 कि.मी. है। वर्तमान पथ के कैरिज–वे की चौड़ाई 5.50मी. है। चौड़ीकरण के पश्चात कैरिज–वे की चौड़ाई 2–लेन (पेभ्ड सोल्डर सहित कुल 10मी.) किये जाने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ के मार्गरेखन में 16 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट, 15 अदद विभिन्न आकार के आर.सी.सी. कल्भर्ट, 1 अदद 2–लेन का माईनर ब्रीज एवं रोड साईड आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी–200एम.एम, डब्लू.एम.एम–250एम.एम, डी.बी.एम–105एम.एम. एव बी.सी–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 21 माह प्रतिवेदित है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

R.

(81)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस.एच–22 के 18वें कि.मी.) से बिहमा (एस.एच–22 के 22वें कि.मी.) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लंबाई 7.00 कि.मी.) कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4793.61 लाख (सैंतालीस करोड़ तिरानबे लाख इकसठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

वर्तमान पथ की चौड़ाई 3.75मी. है जिसे बढ़ाकर 7.00मी. (2–लेन) करने का प्रावधान है। साथ ही प्रस्तुत प्राक्कलन में 8 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट, 6 अदद विभिन्न आकार के आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 1 उच्च स्तरीय आर.सी.सी. माइनर ब्रीज, नाला एवं बचाव कार्य का प्रावधान किया गया है। पथ के कुछ भागों में भू–अर्जन का भी आवश्यकतानुसार प्रावधान किया गया है। पथ की निर्माण अवधि 15 माह आकलित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत गायघाट–कंगनघाट– दीदारगंज (भद्रघाट से दीदारगंज) तक (कुल लंबाई 7.80 कि.मी.) पथ के 4–लेन चौड़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 15840.37 लाख (एक सौ अनठावन करोड़ चालीस लाख सैंतीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

जे.पी.गंगा पथ पर कंगन घाट तक आवागमन चालू हो जाने के उपरान्त भद्रघाट से दमराही घाट तक पूर्व से निर्मित 2–लेन पथ पर वाहनों का अत्यधिक दबाव हो गया है। पथ की उपयोगिता एवं आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, धार्मिक आदि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्णित पथ के चौड़ीकरण के साथ 4–लेन मानक सड़क में विकसित किए जाने का प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है। आवश्यकतानुसार सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण भू–अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

पथ का प्रारंभ बिन्दु भद्रघाट एवं अंतिम बिन्दु दीदारगंज है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

ह०/-
(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

83

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत गया–परैया–गुरारू–कोईलवा मोड पथ के कि.मी. 0.00 से 27.438 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (इन्टरमिडिएट लेन से 2–लेन, पेभ्ड सोल्डर के साथ) कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 10472.13 लाख (एक सौ चार करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ का प्रारंभ बिन्दु एफ.सी.आई. गोदाम, पश्चिमी केबिन गया रेलवे स्टेशन है एवं अंत बिन्दु कोईवा मोड़ है।

विषयांकित पथ की वर्तमान चौड़ाई 5.50मी. है। इसे 2–लेन (7 मी.) चौड़ा करने का प्रावधान है। पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार विभिन्न आकार के 7 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। आवश्यकतानुसार भू–अर्जन का भी प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(87)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत एम्स दरभंगा तक 4–लेन पहुंच पथ (लंबाई–01कि०मी०) के निर्माण कार्य सहित शोभन–एकमी घाट पथ (कुल लंबाई–10 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 33811.90 लाख (तीन सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में एम्स दरभंगा तक 4–लेन पहुंच पथ (लंबाई–01कि०मी०)सहित शोभन–एकमी घाट पथ (कुल लंबाई–10 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है। यह पथ शोभन बाईपास पूर्व–पश्चिमी कॉरिडोर (एन0एच0–27) से प्रारंभ होकर भाया शोभन बाईपास पूर्व–पश्चिमी कॉरिडोर (एन0एच0–27) मुस्तफापुर, चांदी, भरौल, एकमीघाट चौक (एन0एच0–322) तक होते हुए एकमीचौक (एन0एच0–322) तक जाती है।

इस पथ के 10.00 कि०मी० लंबाई को 2–लेन से 4–लेन तथा 1.00 कि०मी० लंबाई में 4–लेन का निर्माण किया जाना है। इस योजना में 1 अद्द 2–लेन का RCC HL Bridge एवं 6 अद्द 1/44/0 Box Culvert का भी प्रावधान है। इसमें लगभग 100 एकड़ भुमि अधिग्रहण की आवश्यकता है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत जीरो माईल से पातर (एन.एच–119ए का लेफ्ट आउट भाग) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरणकार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3389.615 लाख (तेंतिस करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु जीरो माईल (एन.एच–30) एवं अंतिम बिन्दु पातर है। पथ की कुल लंबाई 2.650 कि.मी. है। पथ का वर्तमान कैरिज–वे 7मी. 2–लेन है जिसे चौड़ीकरण कर 4–लेन (कैरिज–वे 14मी.) करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 9 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट एवं 1700मी. में पथ के दोनो तरफ आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

86

प्रेस नोट

नवादा जिलांतर्गत सकरी नदी पर गोविन्दपुर–रोह रोड के गोविन्दपुर ब्लॉक के पास कुल 300मी. पहुँच पथ सहित 20 X 27.80 मी. आकार का उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 5482.87 लाख (चौवन करोड़ बेरासी लाख सत्तासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पुल के निर्माण से गोविन्दपुर ब्लॉक का जुड़ाव रोह ब्लॉक से हो जायेगी। जिससे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति में उक्त दोनों ब्लॉक की दूरी लगभग 20 कि.मी. है। पुल का निर्माण हो जाने से उसकी दूरी घटकर 10 कि.मी. की हो जायेगीं।

इस परियोजना निर्माण में भू–अर्जन की आवश्यकता है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

87

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल डेहरी–ऑन–सोन अंतर्गत अकबरपुर–अधौरा वन पथ में अवस्थित रेहल से रोहतासगढ़ जिला होते हुए चौरासन मंदिर तक पथ (कुल लंबाई 15.50 कि.मी.) का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 6689.36 लाख (छियासठ करोड़ नवासी लाख छत्तीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ का प्रारंभ बिन्दु रेहल है एवं अंतिम बिन्दु चौरासन मंदिर है। यह पथ वन प्रमंडल रोहतास एवं जिला बोर्ड रोहतास के अधीन है। इस पथ का मार्गरेखन कैमूर वन्यजीव आश्रयणी क्षेत्र अंतर्गत है।

उक्त पथ वर्तमान में कच्ची पथ है जिसकी चौड़ाई 3.00मी. से 4.00मी. है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 1–लेन (3.75मी.) कैरिज–वे का प्रावधान किया गया है। साथ ही कैरिज–वे के दोनो तरफ 1.875मी. सोल्डर का प्रावधान किया गया है। तथा भेल्ली क्षेत्र में पथ के दोनो तरफ 1मी. की चौड़ाई में हार्ड सौल्डर का प्रावधान किया गया है। आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य आर.सी.सी. नाला, क्रॉस ड्रेंनेज कार्य एवं रिटेनिंग वाल आदि का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

पथ का मार्गरेखन कैमूर वन्यजीव आश्रयणी क्षेत्र में होने के कारण पथ निर्माण कार्य से पूर्व सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी–150एम.एम, डब्लू.एम.एम–250एम.एम, डी.जी.बी.एम–60एम.एम. एव बी.सी–30एम.एम. का प्रावधान किया गया है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

88

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत खगौल–नेहरू पथ का अशोक राजपथ–रूपसपुर नहर पथ तक, 4–लेन (पथ की कुल लंबाई 6.90 कि.मी.) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 7148.01 लाख (इकहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख एक हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ जे.पी.गंगा पथ से पटना के पश्चिमी ईलाकों दानापुर, नौबतपुर, बिहटा जाने का मुख्य मार्ग है। दक्षिण बिहार से जे.पी.सेतु होते हुए उत्तर बिहार जाने का यह मुख्य पथ है। यह पथ पटना के तीन मुख्य पथों एन.एच–139, एन.एच–98 (एम्स गोलम्बर), नेहरू पथ एवं बांकीपुर–दानापुर पथ को आपस में जोडती है।

विषयांकित पथ के चौडीकरण हेतु जमीन उपलब्ध है। संलग्न प्राक्कलन में 5 ह्यूम पाईप एवं 6900 मी0 रिटेनिंग वॉल का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कैरिज–वे की चौड़ाई 10मी. है जिसे चौड़ीकरण कर 2 X 7.5मी. करने का प्रावधान है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी–200एम.एम, डब्लू.एम.एम–250एम.एम, डी.बी.एम–115एम.एम.एव बी.सी–40एम.एम. आदि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

893

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत बक्सर गोलंबर से ज्योति चौक भाया बस स्टैंड पथ के चौड़ीकरण (4--लेन) एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4152.985 लाख (इकतालीस करोड़ बावन लाख अनठानबे हजार पाँच सौ) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु बेनार मोड़ (एन.एच–33) एवं अंतिम बिन्दु सकसोहरा (एन.एच–431) है। पथ की कुल लंबाई 18.450 कि.मी. है। वर्तमान पथ के कैरिज–वे की चौड़ाई 5.50मी. है। चौड़ीकरण के पश्चात कैरिज–वे की चौड़ाई 2–लेन (पेम्ड सोल्डर सहित कुल 10मी.) किये जाने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ के मार्गरेखन में 16 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट, 15 अदद विभिन्न आकार के आर.सी.सी. कल्भर्ट, 1 अदद 2–लेन का माईनर ब्रीज एवं रोड साईड आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी–200एम.एम, डब्लू.एम.एम–250एम.एम, डी.बी.एम–105एम.एम. एव बी.सी–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 21 माह प्रतिवेदित है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत 2–लेन धनसोई बाईपास पथ (कि.मी. 0.00 से 4.50) के निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9824.90 लाख (अनठानबे करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रतिवेदित है कि विषयांकित पथ का प्रारंभ बिन्दु इटाढ़ी–धनसोई पथ है एवं अंतिम बिन्दु धनसोई–दिनारा पथ है।

पथ की कुल लंबाई 4.50 कि.मी. है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 2–लेन (7मी.) कैरिज–वे का प्रावधान किया गया है। आवश्यतानुसार क्रॉस ड्रैंनेज कार्य आदि का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

पथ के मार्गरेखन में आवश्यतानुसार 5 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 10 ह्यूम पाईप कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। पथ का निर्माण अवधि कुल 24 माह आकलित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

91

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाएं में सम्मिलित पटनासिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सोहगी मोड़ (SH-01) से कंडाप (पुनपुन सुरक्षा बाँध) भाया रामपुर बहुरा एवं लिंक पथ बहुरा मोड़ से चिपुरा मोड़ तक कुल 9.90 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4148.42 लाख (एकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख बियालीस हजार) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना जिले में प्रगति यात्रा, दिनांक–21.02.2025 की प्रमुख घोषणाओं में सम्मिलित यह एक महत्त्वपूर्ण पथ है। यह पथ राजकीय उच्च पथ संख्या–01 से प्रारंभ होकर विभिन्न गाँवों सोहगी, रामपुर, बहुआरा एवं कंडाप इत्यादि होते हुए पटना सुरक्षा बाँध में जाकर मिलती है। पटना सुरक्षा बाँध के जिस बिन्दु पर यह पथ जुड़ता है उस स्थान से एस०एच०–01 की दूरी 6.30 कि०मी० तथा बहुआरा मोड़ से चिपुरा मोड़ की दूरी 3.60 कि०मी० है। एन०एच० 83 एवं एस०एच–01 पर जाम की स्थिति में यह पथ एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काफी उपयोगी साबित होगा। साथ ही आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों का जुड़ाव जिले के मुख्य सड़कों यथा MDR & SH एवं NH से भी सम्पर्क हो जाता है। पूरा क्षेत्र कृषि उत्पादों के विपणन के विकास की संभावना में भी वृद्धि होगी एवं रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

92

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ एवं तुंगी हॉल्ट रेलवे स्टेशनों के बीच बिहारशरीफ –अस्थावाँ पथ में खन्दक पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–34 A/T (रेलवे कि०मी०–29/28–29/30) के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹7314.16 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ चौदह लाख सोलह हजार मात्र) भू–अर्जन सहित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार के प्रगति यात्रा के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु हेतु कुल ₹ 7314.16 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ चौदह लाख सोलह हजार मात्र) अनुमानित लागत राशि पर राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहभागिता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

93

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अंतर्गत देव अम्बा रिंग रोड के चैनेज कि0मी0 0.00 से कि0मी0 8.60 तक पेम्ड सोल्डर सहित 2लेन (एन0एच0–30 का लेफ्ट आउट भाग) पथ निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 14223.42 लाख (एक सौ बेयालीस करोड़ तेईस लाख बयालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ का प्रारम्भ बिन्दु देव अम्बा पथ एवं अंतिम बिन्दु केतकी (एस0एच0–101) है। यह पथ देव अम्बा से होते हुए पाताल गंगा, माले बिगहा, आनन्दपुर से गुजरती है। पथ परत की वर्त्तमान चौड़ाई 3.75मी0 / 5.5मी0 / 7.00 मी0 है जिसे चौड़ीकरण कर 2 लेन पथ निर्माण का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 16 अदद् बॉक्स कलभर्ट का प्रावधान किया गया है। पथ की कुल लंबाई 8.60 कि.मी. है। यह पथ मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। इसके चौड़ीकरण हो जाने से ग्रामीणों को उनके उत्पाद को नजदीकी बाजार ले जाने में सुगमता होगी।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल डेहरी–ऑन–सोन अंतर्गत आयरकोठा–अकोढ़ीगोला – अमरातलाब पथ (चैनेज– 0.00 से 10.00) (पार्ट–ए0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 4874.59 लाख (अड़तालिस करोड़ चौहत्तर लाख उनसठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में आयरकोठा–अकोढ़ीगोला–अमरातलाब पथ (चैनेज– 0.00 से 10.00) (पार्ट–ए0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है।

यह पथ आयरकोठा से प्रारंभ होकर बागेन तक जाती है।

इस पथ की कुल लंबाई 10.00 कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 5.5मी० है, जिसका चौड़ीकरण कर 2–लेन पेव्ड शोल्डर के साथ करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ में चौदह अदद पुल/पुलिया का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अंतर्गत 2–लेन रफीगंज बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई 8.000 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु 7119.68 लाख (एकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख अड़सठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रतिवेदित है कि विषयांकित पथ का प्रारंभ बिन्दु इटाढ़ी–धनसोई पथ है एवं अंतिम बिन्दु धनसोई–दिनारा पथ है।

पथ की कुल लंबाई 4.50 कि.मी. है। प्रस्तुत प्राक्कलन में 2–लेन (7मी.) कैरिज–वे का प्रावधान किया गया है। आवश्यतानुसार क्रॉस ड्रेनेज कार्य आदि का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

पथ के मार्गरेखन में आवश्यतानुसार 5 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 10 ह्यूम पाईप कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। पथ का निर्माण अवधि कुल 24 माह आकलित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(96)

प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत बमपाली से गिरजामोड़ तक 4लेन चौड़ीकरण एवं गिरजामोड़ से पकड़ी चौक तक पेभड सोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण तथा चंदवा मोड़ से पश्चिमी आर0ओ0बी0 तक लिंक रोड निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 5394.80 लाख (तिरपन करोड़ चौरानबे लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

उक्त पथ की कुल लंबाई 6.70 कि.मी. है। बमपाली से गिरजामोड़ तक के पथ का चौड़ीकरण कर 4 लेन करने का एवं गिरजा मोड़ से पकड़ी चौक तक चौड़ीकरण कर 2 लेन करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 7 अदद् क्रास ड्रेनेज एवं पथ के दोनो तरफ 3.00 कि0मी0 में आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है। साथ ही पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार बिटुमिनस पथ के अतिरिक्त कंक्रीट पेभमेंट का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नवादा जिलान्तर्गत सादिपुर हॉल्ट पर सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०), सहित नवादा बायपास (राष्ट्रीय उच्च पथ–31 के चैनेज 97 कि०मी० से हिसुआ–नवादा–जमुई पथ (राज्य उच्च पथ संख्या–08) पर अवस्थित कादिरगंज (सकरी नदी पुल के पहुँच पथ) तक) का निर्माण हेतु कुल ₹18162.21 लाख (रूपये एक सौ इक्यासी करोड़ बासठ लाख इक्कीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के आलोक में नवादा जिलान्तर्गत विषयांकित निर्माण हेतु कुल ₹18162.21 लाख (रूपये एक सौ इक्यासी करोड़ बासठ लाख इक्कीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत राज्य सरकार की शत् प्रतिशत् सहभागिता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

प्रस्तावित नवादा बायपास पथ सहित सडक उपरि पुल की लम्बाई –10.635 कि0 मी0 है, जिसके अंतर्गत 9.84 कि०मी० लम्बाई में 2– लेन पथ, 795 मी० लम्बाई का सदीपुर हॉल्ट पर सड़क उपरि पुल, 20 अदद् आर०सी०सी० बॉक्स कल्भर्ट एवं 1 अदद् उच्च स्तरीय आर०सी०सी० ब्रिज का निर्माण किया जाना है।

यह बायपास पथ राष्ट्रीय उच्च पथ–31 के चैनेज 97 कि०मी० से शुरू होकर राज्य उच्च पथ संख्या–08 पर अवस्थित कादिरगंज (सकरी नदी पहुँच पथ के नजदीक) पर मिलेगी। विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से नवादा शहर के साथ राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–31 एवं राज्य उच्च पथ संख्या–08 पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी एवं नवादा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सूविधा सुलभ होगी। अतः विषयांकित परियोजना निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

98

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत आयरकोठ –अमरातलाब 2–लेन पेभ्ड शोल्डर पथ (चैनेज–10.00 से 17.500 कि.मी.) (पार्ट–बी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3633.65 लाख (छत्तीस करोड़ तेंतीस लाख पैसठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में आयरकोठ –अमरातलाब 2–लेन पेभ्ड शोल्डर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है।

यह पथ आयरकोठा से प्रारंभ होकर अमरातलाब तक जाती है।

इस पथ की कुल लंबाई 7.500 कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 5.5मी० है, जिसका चौड़ीकरण कर 2–लेन पेभ्ड शोल्डर के साथ करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ में दस अद्द पुल/पुलिया का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

99

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत अरण्य देवी मंदिर से आरा–बक्सर 4–लेन (एन.एच.–922) भाया आरा सिन्हा एवं आरा–बरहारा (कुल लंबाई–4.8 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल राशि 3719.97 लाख (सैतीस करोड़ उन्नीस लाख संतानवें हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत अरण्य देवी मंदिर से आरा–बक्सर 4–लेन (एन.एच.–922) भाया आरा सिन्हा एवं आरा–बरहारा (कुल लंबाई–4.8 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

100

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेरघाटी अन्तर्गत इमामगंज से पकरी भाया कोठी–सलैया पथ के कि०मी० 0.00 से 24.50 (कुल लंबाई–24.50 कि०मी०) में एक–लेन से दो–लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11974.56 लाख (एक सौ उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 29 अद्द विभिन्न आकार के आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट एवं 9680मी० पथ के किनारे आर.सी.सी. नाला का निर्माण का प्रावधान किया गया है। पथ के पथांश में बिटुमिनस एवं सीमेंट कंक्रीट पेभमेंट दोनो का ही प्रावधान आवश्यकतानुसार किया गया है। संलग्न प्राक्कलन में पथ के चौड़ीकरण भाग में जी.एस.बी.–200एम.एम., डब्लु एम.एम.–250एम.एम, डी.बी.एम.–80एम.एम., बी.सी.–40एम.एम. साथ हीं पथ मजबूतीकरण भाग में डब्लु एम.एम.–250एम.एम., डी.जी.बी.एम.–80एम.एम., बी.सी.–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत आरा (एन.एच–30) से छपरा (एन.एच–19) भाया बबुरा पथ के कि.मी. 0.00 से 20.40 कि.मी. तक पथ को 4–लेन से 6–लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 10516.13 लाख (एक सौ पाँच करोड़ सोलह लाख तेरह हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 20.40 कि.मी. है। यह पथ वर्तमान में 4–लेन है। जिसे चौड़ीकरण कर 6–लेन करने का प्रावधान किया गया है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु मनभावन चौक (एन.एच–30) तथा अंतिम बिन्दु झंगा चौक (डोरीगंज) एन.एच–19 है। यह पथ भोजपुर जिला को सारण जिला से जोड़ने वाली मुख्य पथ है। इस पथ का मुख्यतः उपयोग कोईलवर, बिहटा, संदेश क्षेत्र से सोन बालू को उत्तर बिहार ले जाने हेतु किया जाता है। जिसके कारण पथ पर वाहनों का आवागमन दिन–रात निरंतर जारी रहता है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार मैदान वाले भाग में पी.क्यू.सी. प्रकार के पथ प्रावधान किया गया है साथ ही गंगा पुल के पहुँच पथ में स्लोप प्रोटेक्शन, 11.50 कि.मी. में क्रैस बैरियर एव 8 अदद कल्भर्ट के विस्तारीकरण का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

102 ~~102~~

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग अंतर्गत पटना–गया (एस0एच0-01) सम्पतचक बाजार से परसा बाजार (एन0एच0–83) भाया चिपुरा, बदलाचक (कुल लंबाई–6.80 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 33024.90 लाख (तीन सौ तीस करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में पटना–गया (एस0एच0-01) सम्पतचक बाजार से परसा बाजार (एन0एच0–83) भाया चिपुरा, बदलाचक (कुल लंबाई–6.80 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है। पथ में आवश्यकतानुसार ड्रेन का भी प्रावधान किया गया है। साथ हीं भु–अर्जन का भी प्रस्ताव है।

इस पथ की कुल लंबाई 6.80 कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 7.00मी० है, जिसका चौड़ीकरण कर 4–लेन करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। पथ में सात अद्द पुल/पुलिया का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में गाय घाट में जे.पी. गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैम्प के निर्माण हेतु रूपये 6195.10 लाख (रुपये एकसठ करोड़ पंचानबे लाख दस हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

जे.पी. गंगा पथ परियोजना का कार्य पटना घाट तक दिनांक 10.07.2024 को पूर्ण किया जा चुका है तथा जे.पी. गंगा पथ पर वाहनों का आवागमन दीघा से कंगन घाट तक सुचारू रूप से जारी है। जे.पी. गंगा पथ परियोजना में गाय घाट संपर्कता में वाहनों के उतरने हेतु कोई यातायात अंडरपास (भी0यू0पी0) का प्रावधान नहीं रहने के कारण वर्तमान में यू–टर्न व्यवस्था से ही वाहनों का परिचालन किया जा रहा है।

वर्तमान समय में जे.पी. गंगा पथ पर वाहनों का धनत्व काफी है तथा भविष्य में परियोजना के दीदारगंज तक पूर्ण हो जाने के उपरांत वाहनों का घनत्व और अधिक बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिससे यू–टर्न स्थानों पर निरंतर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं जे.पी. गंगा पथ परियोजना का मूल उदेश्य प्रभावित होगा।

इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत भी यू–टर्न व्यवस्था से किसी दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा हाई स्पीड कॉरिडोर में यू–टर्न का स्थान ब्लैक स्पॉट की तरह हो जाएगा। जे.पी. गंगा पथ परियोजना अंतर्गत वाहनों के सुगम आवागमन तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जे.पी. गंगा परियोजना में गायघाट में जे.पी. गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैम्प बनाये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है।

परियोजना में प्रावधान– परियोजना की कुल लंबाई 374.62मी. है, कुल चौड़ाई सेक्सन–1 में 14मी. एवं सेक्सन–2 में 12मी. है। संरचना का प्रकार– एलिवेटेड पुल संरचना (290 मीटर एलिवेटेड स्ट्रक्चर एवं शेष रैम्प), फाउंडेशन प्रकार–पाइल फाउंडेशन एवं फुटपाथ 1.50मी. का प्रावधान किया गया हैं। परियोजना में समुचित रूप से सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप रोड–फर्नीचर्स, स्ट्रीट लाइट आदि का प्रावधान किया गया है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत लेफ्ट आउट पोरशन एन. एच.–30 के बिहटा चौक से दानापुर (कुल लंबाई–22.740 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 18248.49 लाख (एक सौ बेरासी करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में लेफ्ट आउट पोरशन एन. एच.–30 के बिहटा चौक से दानापुर (कुल लंबाई–22.740 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है।

यह पथ एन.एच. 30 पर शाहपुर ~~सराय रोड~~ के जक्शन से प्रारंभ होकर शिवाला बिहटा–बिहटा मनेर रोड तक जाती हैं। पथ में आवश्यकतानुसार ड्रेन का भी प्रावधान किया गया है।

इस पथ की कुल लंबाई 22.740 कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 7.00मी० है, जिसका चौड़ीकरण कर 4–लेन करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

105

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं0–1 औरंगाबाद अंतर्गत देव सूर्य कुंड (एस.एच–101) से देव बाईपास (प्रगति पथ) (4–लेन) पथ निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 5938.95 लाख (उनसठ करोड़ अड़तीस लाख पनचानबे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु देव सूर्य कुंड (एस.एच–101) एवं अंतिम बिन्दु देव बाईपास (प्रगति पथ) है। पथ परत की प्रस्तावित चौड़ाई 4–लेन (2 X 7मी.) पथ निर्माण करने का प्रावधान है। प्रस्तावित पथ की कुल लंबाई 1.00 कि.मी. है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 3 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी.–200एम.एम, डब्लू.एम.एम.–250एम.एम, डी.बी.एम.–80एम.एम. एवं बी.सी.–40एम.एम. आदि का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 09 माह प्रतिवेदित है। इस प्राक्कलन में भू–अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

106

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अंतर्गत एन.एच–82 के लेफ्ट आउट पथ के एतवारी बाजार (एन.एच–82) से अपरौरा मोड़ (एन.एच–82 न्यू बाईपास) भाया कलेक्ट्रीयट ऑफिस नालंदा, नईसराय एवं खंडक मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3035.36 लाख (तीस करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 7.00 कि.मी. है। यह पथ वर्तमान में 2–लेन (कैरिज–वे 7मी.) है। जिसे चौड़ीकरण कर कैरिज–वे 10.00मी. करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

यह पथ एतवारी बाजार से उपरौरा मोड़ तक पथ शहर के बीच से समाहरणालय नालंदा, नई सराय, खंदकपर होते हुए उपरौरा मोड़ तक जाती है। इस पथ से प्रायः अतिविशिष्ठ व्यक्तियों का आवागमन होते रहता है। इस मार्ग पर सरकारी कार्यालय, बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन मार्ग एवं बस स्टैंड है। उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण होने के उपरान्त यात्रियों एवं आवासन कर रहे व्यक्तियों को आवागमन में काफी सहुलियत होगी।

साथ ही 1.50कि.मी. लंबाई में सड़क के दोनो तरफ नाला एवं 2 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(107)

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं0–1, गया अंतर्गत बेला–पनारी रोड से अग्नि, रैली, शिवरामपुर से धनावा होते हुए शाकिर बिगहा तक (ग्राम शिवरामपुर के लिंक पथ सहित) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3982.82 लाख (उनचालीस करोड़ बेरासी लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 12.00 कि.मी. है। यह पथ वर्तमान में 1–लेन है। जिसे चौड़ीकरण कर इंटरमिडिएट लेन (कैरिज–वे 5.50मी.) करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में रिभर ट्रेनिंग वर्क, 26 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट, 8 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। साथ ही आर.सी.सी. नाला का भी प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन में भू–अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

108

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कुदरा–चेनारी –मल्हीपुर पथ के कि.मी. 0.00 से 22.50 तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 14700.51 लाख (एक सौ सैंतालीस करोड़ इक्यावन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 22.50 कि.मी. है। यह पथ वर्तमान में 2–लेन है। जिसे चौड़ीकरण कर 4–लेन करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

यह पथ एन.एच–19 से प्रारंभ होकर कुदरा, सकरी, पचपोखरी, तेलारी होते हुए चेनारी तक जाती है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार मैदान वाले भाग में पी.क्यू.सी. प्रकार के पथ प्रावधान किया गया है साथ ही 13 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट एव 19 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अदद 33.76मी. लंबा 2–लेन उच्च स्तरीय पुल का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

109

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत बड़ी मस्जिद से सेन्ट्रल जेल तक के पथ के चौड़ीकरण हेतु कुल 3680.36 लाख (छत्तीस करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह पथांश आरा बक्सर पथ (600मी.)एवं पुरानी बाईपास रोड (1600मी.) तथा एस0एच0–13 (2000 मी0) का भाग है, जिसकी समेकित लंबाई 4.200 कि.मी. है। प्रस्तुत प्राक्कलन में भूमि की उपलब्धता के अनुसार बड़ी मस्जिद से बक्सर आई0टी0आई0 तक 10मी. चौड़ी सड़क तथा बक्सर आई0टी0आई0 से सेंन्ट्रल जेल तक 2 x 7मी. चौड़ी सड़क का प्रावधान किया गया है। सड़क के किनारे दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाला (1 मी0 x 1 मी0 आकार का 6100मी. एवं 1.2मी0 x 2मी0 आकार का 2300मी.) एवं आलोच्य पथ में 2 अदद पुलिया (1/22/0 आकार का एवं 2/33/0 आकार का एक–एक बॉक्स कल्भर्ट) का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(110)

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत एम्स गोलम्बर–जानीपुर–पैनापुर–नेवा (बिहटा–सरमेरा–पटना रिंग रोड जंक्शन) पथ (कुल लंबाई–10.5 कि०मी०) का 2–लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 13850.13 लाख (एक सौ अड़तीस करोड़ पचास लाख तेरह हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में एम्स गोलम्बर–जानीपुर–पैनापुर–नेवा (बिहटा–सरमेरा–पटना रिंग रोड जंक्शन) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है।

यह पथ एन.एच. 139 4–लेन एम्स के पास से होकर बभनपुरा, जानीपुर, अकबरपुर, पुनपुन सुरक्षा बांध से होते हुए बिहटा सरमेरा (4–लेन) को जोड़ता है, जिससे फुलवारीशरीफ, एम्स, दानापुर, नौबतपुर आदि पश्चिमी पटना क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस पथ की कुल लंबाई 10.5 कि०मी० है। प्रस्तुत प्राक्कलन में एक अद्द स्क्रीव ब्रीज, दस अद्द बॉक्स कल्भर्ट एवं दस अद्द एच.पी. कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

11

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत भोजपुर–सिमरी पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 9.30 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 5197.50 लाख (इक्यावन करोड़ सनतानबे लाख पचास हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह पथ पुराना भोजपुर से प्रखंड कार्यालय सिमरी तक है। पथ की कुल लंबाई 9.30 कि.मी. है। यह एन0एच0–922 से प्रारम्भ होकर प्रखंड कार्यालय सिमरी के समीप समाप्त होती है। वर्त्तमान यह एकल लेन पथ है। जिसे चौड़ीकरण कर 2–लेन करने का प्रावधान है। कृषि सम्पन्न क्षेत्र होने के कारण छोटे–बड़े वाहनों का आवागमन सदैव होते रहता है। पथ एकल लेन होने के कारण हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न होती है।

पथ के मार्गरेखन में 8 अदद् आर0सी0सी0 बॉक्स कलभर्ट, 2 हयूम पाईप कलभर्ट एवं पथ के दोनों तरफ 4 कि0मी0 लम्बाई में आर0सी0सी0 नाला का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 वर्त्तमान कलभर्ट के मरम्मति का भी प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

112

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर--गौराडीह मार्ग पर भागलपुर--बौंसी रेलवे लाईन, पुल संख्या–02 (आर०यू०बी०) पर पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹12585.86 लाख (रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ पचासी लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु कुल ₹12585.86 लाख (रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ पचासी लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर राज्य सरकार की शत् प्रतिशत् सहभागिता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

प्रस्तावित आर०ओ०बी० का संरेखण भागलपुर–गौराडीह मार्ग पर अवस्थित है, जिसके एक तरफ गौराडीह एवं दूसरे तरफ गुरहट्टा चौक की ओर जायेगी। विदित हो कि प्रस्तावित आर०ओ०बी० के निर्माणोपरांत शहर के यातायात दबाव 4–लेन राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–33 की ओर सुगमतापूर्वक एवं सुरक्षित रूप से सम्पन्न होगी। फलस्वरूप भागलपुर शहर में यातायात दबाब कम होगी एवं जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी। अतः विषयांकित परियोजना के निर्माण से जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालंदा जिलान्तर्गत पचासा–नकटपुरा पथ (बिहारशरीफ बाईपास पथ) एवं बिहारशरीफ –रहुई पथ में अवस्थित LC No.-30C/E (सोहसराय हॉल्ट) के स्थान पर सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०)–सह – पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹21264.52 लाख (रूपये दो सौ बारह करोड़ चौंसठ लाख बावन हजार) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में विषयांकित परियोजना सड़क उपरि पुल आर०ओ०बी० –सह – पहुँच पथ के निर्माण कार्य राज्य सरकार की शत् प्रतिशत् सहभागिता के आधार पर किया जाना है। विषयांकित लेवल क्रॉसिंग पर 2 अदद् आर०ओ०बी० सहितं Rotary, भाया–डक्ट एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य के अतिरिक्त सर्विस रोड/ ड्रेन/ स्टेयर केस (4 no.) एवं संबंधित अन्य का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

प्रस्तावित सड़क उपरि पुल के निर्माणोपरांत रेलवे समपार पर लगने वाले घंटो जाम से शहर को निजात मिलेगी तथा रेलवे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। अतः विषयांकित परियोजना के निर्माण जनहित में होने से निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

114

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं०–01, औरंगाबाद अंतर्गत गया–औरंगाबाद भाया परैया, गुरारू, रफीगंज (पार्ट-B) के कि.मी. 27.80 से कि.मी. 64.170 तक पथ कें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल राशि ₹13774.27 लाख (एक सौ सैतीस करोड़ चौहत्तर लाख सताइस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में गया–औरंगाबाद भाया परैया, गुरारू, रफीगंज (पार्ट-B) के कि.मी. 27.80 से कि.मी. 64.170 तक पथ कें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस पथ की कुल लंबाई **36.37** कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 5.5मी० है, जिसका चौड़ीकरण 2–लेन(कैरेज वे की चौड़ाई 7मी. मे किया जाना है। इस पथांश का प्रारंभ बिन्दु अमवन–सिम्मा एवं अंत बिन्दु औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज मोड़ है। प्रस्तुत पथ के मार्गरेखन में स्थलीय आवश्यकतानुसार 22 अद्द आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 56 अद्द ह्युम पाईप कल्भर्ट तथा तीन अद्द उच्चस्तरीय माईनर आर.सी.सी.पुल का प्रावधान किया गया है। पथ के चौड़ीकरण भाग मे GSB 200mm, WMM 250mm, DBM 80mm एवं BC 40mm तथा मजबूतीकरण भाग में DGBM 80mm एवं BC 40mm का प्रावधान किया गया है। विषयांकित कार्य की आकलित अवधि 18 माह है। प्रस्तावित योजना में भु–अर्जन की आवश्यकता है, फलस्वरूप उक्त के निमित्त राशि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत घुघड़ीटांड़ में फ्लाईओवर का निर्माण हेतु कुल राशि ₹14121.00 लाख (रूपये एक सौ एकतालिस करोड़ एक्कीस लाख मात्र) रूपये मात्र की अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित कार्य खटका चौक, गया से प्रारंभ होकर घुघड़ी टांड़ चौक होते हुए फल्गु नदी पर अवस्थित नया फल्गु पुल पर समाप्त होता है। इस परियोजना के तहत खटका चौक गया से नया फल्गु पुल, मानपुर तक 4–लेन फ्लाईओवर पुल के निर्माण किए जाने का प्रावधान है। वर्त्तमान में घुघड़ी टांड़ चौक, एन.एच.–82 पर पथ के सीध में दोनो तरफ 200मी. तक जीम की समस्या अधिकांशतः बनी रहती है। इस तरह के निर्माण से पहाड़पुर, गया एवं बोधगया तक यातायात का दबाब कम होगा।

प्रस्तुत प्राक्कलन में 4–लेन फ्लाई ओवर के दोनो तरफ 7.50मी० चौड़ा सर्विस लेन एवं आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत परियोजना में भु–अर्जन की भी आवश्यकता है, फलस्वरूप इसकी संभावित राशि का प्रस्तुत प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में बक्सर जिलाधीन एन.एच–84 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला (एन.एच–19) को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल (बयासी पुल) के पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 38676.95 लाख(तीन सौ छियासी करोड़ छिहत्तर लाख पंचान्बे हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में यह पथ बक्सर जिला के ब्रह्मपुर चौरस्ता से लगभग 2.25 कि.मी. की दूरी से प्रारंभ होकर गायघाट, चक्की, गंगौली आदि गांवों से होते हुए जनेश्वर मिश्र सेतु के पहुंच पथ से मिलेगी। पथ के बन जाने से बक्सर जिला बिहार से सीधे बलिया जिला उत्तर प्रदेश से जुड़ जायेगा, साथ ही एन.एच–84 एवं एन.एच–19 के बीच भारी एवं हल्के वाहनों का परिचालन सुगम एवं सुलभ हो जायेगा। प्रस्तुत पहुंच पथ के मार्गरेखन में रिभर ट्रेनिंग एवं बचाव कार्य के अतिरिक्त 8 अदद विभिन्न आकार के आर.सी.सी. बाक्स कल्भर्ट एवं 3 अदद उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का प्रावधान किया गया है। इस पथ के बन जाने से बक्सर जिला को जाम से मुक्ति मिल जायेगा। परियोजना के मार्गरेखन में भू–अर्जन की आवश्यकता है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्राक्कलन में भू–अर्जन मद की राशि भी सम्मिलित की गयी है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

117

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा–शेरपुर–बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक कुल 35.65 कि०मी० लंबाई में जे०पी० गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण हेतु कुल 649578.72 लाख (रूपये छः हजार चार सौ पंचानवें करोड़ अठहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित परियोजना में दीघा–शेरपुर–बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक कुल 35.65 कि०मी० लंबाई में जे०पी० गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित जे.पी. गंगा पथ परियोजना का दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा में कोईलवर पुल तक 4–लेन मानक पथ में विस्तारित करने से संबंधित परियोजना है। प्राक्कलन में मनेर से कोईलवर तक पथ–बंध के दोनों ओर बसावट होने के कारण पथ–बंध वाले भाग में सर्विस पथ का प्रावधान किया गया है।

संलग्न प्राक्कलन में 18 कि.मी. एलिवेटेड 4–लेन संरचना, स्थल के आवश्यकतानुसार वेहि्कल अंडरपास, दीघा एवं शेरपुर में इंटरचेंज का निर्माण, तीन अदद रेस्क्यु लेन, टॉल प्लॉजा, सर्विस रोड सहित 17.65 कि.मी. 4–लेन पथ, एक अदद फ्लाई ओवर का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत परियोजना में भु–अर्जन की भी आवश्यकता है, फलस्वरूप इसकी संभावित राशि का प्रस्तुत प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

118

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अंतर्गत बिहार–बख्तियारपुर पथ के कारगील चौक से पचासा मोड़ तक कुल लंबाई 8.00 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 4214.89 लाख (बयालीस करोड़ चौदह लाख नवासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बिहार–बख्तियारपुर पथ कारगील चौक से पचासा मोड के बीच से गुजरती है। इस पथ से प्रायः अतिविशिष्ठ व्यक्तियों का आवागमन होते रहता है। इस पथांश की कुल लंबाई 8 कि.मी. है। बिहारशरीफ बाजार से बाहर एन.एच–33 तक जाने का यह एक मात्र मार्ग है। इस पथ की वर्तमान औसत चौड़ाई 10.50मी. है। उपलब्ध स्थानों पर पथ के मार्गरेखन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। इस पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हो जाने से हल्के एवं भारी वाहनों के आवागमन में आसानी होगी। इस पथ में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा 1600मी. में फ्लाई ओभर बनाया जा रहा है। विदित हो कि वर्तमान में यह पथ ओ.पी.आर.एम.सी. से संधारित हो रहा है। इस प्रकार योजना की कुल राशि ₹4214.89 लाख है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

119

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, हिलसा अंतर्गत एन.एच.–82 के कि.मी. 77 (हसनपुर ग्राम से राजगीर अंतराष्ट्रीय खेल अकादमी मोड़) भाया राजगीर बाईपास पथ के 2–लेन से 4–लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹13914.70 लाख (एक सौ उनतालिस करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस पथ की कुल लंबाई **7**कि०मी० है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 2–लेन (10मी०) की है, जिसका चौड़ीकरण 4–लेन (कैरेज वे की चौड़ाई 2×10मी.) में किया जाना है। प्रस्तुत पथ के मार्गरेखन में स्थलीय आवश्यकतानुसार 20 अद्द आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट, 18 अद्द ह्युम पाईप कल्भर्ट तथा एक अद्द उच्चस्तरीय माईनर आर.सी.सी.पुल का प्रावधान किया गया है। पथ परत मे GSB 200mm, WMM 250mm, DBM 80mm एवं BC 40mm का प्रावधान किया गया है। विषयांकित कार्य की आकलित अवधि 20 माह है। प्रस्तावित योजना में भु–अर्जन की आवश्यकता है, फलस्वरूप उक्त के निमित्त राशि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना शहर अंतर्गत पटेल गोलम्बर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक तथा ईको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाईन नाले पर भूमिगत नाला के साथ 4--लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 19680.00 लाख (एक सौ छियानबे करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना में सरपेंटाईन नाला को पाटकर 4 लेन सड़क बनाया जाना है। जिसकी कुल लम्बाई–860 मीटर है। इस परियोजना के तहत पटेल गोलम्बर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक तथा ईको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाईन नाला को पाटकर 4--लेन सड़क निर्माण किये जाने का प्रावधान है। इस सड़क के बन जाने से सचिवालय, राजधानी वाटिका तथा एयरपोर्ट आने जाने में काफी सुविधा होगी। वर्तमान में अवस्थित नाला, परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त भूमिगत नाला के रूप में विकसीत हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप अतिक्रमण से बचाव होगा तथा नाला में लगने वाला कुड़े कचड़े की समस्या से भी निजात मिलेगा। अतः इस सड़क के बन जाने से सचिवालय, राजधानी वाटिका तथा एयरपोर्ट आने–जाने में काफी सुविधा होगी तथा आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

121

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत बख्तियारपुर–बाढ़–मोकामा (एन.एच–31 के लेफ्ट आउड पोर्शन) कि.मी. 0.00 से 44.60 तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 24988.10 लाख (दो सौ उन्चासकरोड़ अट्ठासी लाख दस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

उक्त पथ बख्तियारपुर–बाढ़–मोकामा (एन.एच–31 के लेफ्ट आउड पोर्शन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा पटना सिटी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया था जिसकी कुल लंबाई 44.60 कि.मी. एवं चौड़ाई 7मी. है। प्रस्तुत प्राक्कलन पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु तैयार किया गया है। जिसमें उपलब्ध आर0ओ0डब्लू0 एवं उपलब्ध भूमि के आधार पर 11मी. कैरिज–वे तथा पथ के दोनो तरफ नाला का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी.–200एम.एम, डब्लू.एम.एम.–250एम.एम, डी.बी.एम.– 105एम.एम. एवं बी.सी.–40एम.एम.आदि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाई ओभर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 34922.00 लाख (तीन सौ उन्चास करोड बाईस लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में ओल्ड फल्गु पुल (मुफस्सिल) गया से प्रारंभ होते हुए एवं जगजीवन कॉलेज गया के पास से प्रारंभ होकर वाई–जंक्शन बनाते हुए मुफस्सिल ब्लॉक पर समाप्त होता है। इस परियोजना के तहत 2–लेन फ्लाई ओभर पुल के निर्माण के साथ सर्विस रोड एवं नाला निर्माण किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त स्थान पर जाम की समस्या अधिकांशतः बनी रहती है। इस पथ के निर्माण होने से एन.एच–82 लेफ्ट आउट मानपुर एवं मुफस्सिल तक यातायात का दबाव कम होगा तथा आमजन को आवागमन में सुगमता होगी। प्रस्तुत प्राक्कलन में भू–अर्जन का भी प्रावधान किया गया हैं

प्रस्तुत प्राक्कलन के 5.50मी. चौड़ाई में 2–लेन फ्लाई ओभर के दोनो तरफ सर्विस लेन एवं नाला का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

विषयांकित योजनाके निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन अंतर्गत अकोढ़ीगोला बाईपास पथ (कुल लंबाई 6.50कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹8877.59 लाख (अठासी करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तुत बाईपास की कुल लंबाई 6.50 कि.मी. है। इसकी चौड़ाई 2–लेन (पेभ्ड सोल्डर के साथ) का प्रावधान किया गया है। पथ के मार्गरेखन में स्थलीय आवश्यकतानुसार 7 अदद ह्यूम पाईप कल्भर्ट, 9 अदद स्लैब कल्भर्ट, 8 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट तथा 2 उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का प्रावधान किया गया है। परियोजना में भू–अर्जन की भी आवश्यकता है। फलस्वरूप भू–अर्जन मद की राशि प्राक्कलन में सम्मिलित की गई है। पथ परत में जी.एस.बी–200एम.एम, डब्लू.एम.एम–250एम.एम, डी.बी.एम –80एम.एम, बी.सी–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार योजना की कुल लागत 8877.59 लाख रू0 आकलित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आमजनों के आवागमन में सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

124

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत सरमेरा से लखीसराय जिला के सीमा पर स्थित पचना (भदौस) ग्रीनफिल्ड बाईपास पथ (कुल लंबाई– 21.5 कि०मी०) निर्माण कार्य हेतु 48183.585 लाख (चार सौ एकासी करोड़ तेरासी लाख अंठावन हजार पांच सौ) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस पथ की कुल लंबाई 21.5 कि०मी० है। पथ की चौड़ाई 2–लेन (10मी०) का प्रावधान है। उक्त वर्णित पथ नालंदा जिला के सरमेरा (एन.एच.–33) से प्रारंभ होकर शेखपुरा जिलान्तर्गत पचना (भदौस) के पास निर्माणाधीन लखीसराय–पचना पथ में मिलता है। यह पथ शेखपुरा शहर के लिए एक अतिरिक्त बाईपास का कार्य करेगा। जिससे शहर में लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी तथा बिहारशरीफ, बरबीघा तथा पटना से आने वाली गाड़ियां शेखपुरा शहर में प्रवेश किए बिना लखीसराय एवं जमुई जा सकेगी। यह पथ पूर्णत ग्रीनफिल्ड में निर्माण किया जाना है। अतः सम्पुर्ण लंबाई में भुमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित पथ का मार्गरेखन पुर्ण रूप से टाल क्षेत्र से गुजरती है। इसलिए आवश्यकतानुसार क्रास ड्रैनेज का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। इस प्रकार योजना की कुल राशि **₹48183.585** लाख है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से क्षेत्र में आवागमन की सूविधा होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(125)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा बाईपास (पूर्वी) दो अदद् आर० ओ० बी० सहित कुल 7.0718 कि०मी० पथ के निर्माण हेतु ₹27637.00 लाख (रूपये दो सौ छिहत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत 2 लेन हिलसा बायपास (दो अदद् आर०ओ०बी० सहित) की कुल लम्बाई 7.0718 **कि०मी०** है, जिसके अन्तर्गत 11 अदद् आर०सी०सी० कल्भर्ट, 4 अदद् एच० एल० आर०सी०सी० ब्रिज, 6 अदद एच०पी० कल्भर्ट एवं दो अदद् आर०ओ०बी० निर्माण कार्य के अतिरिक्त सर्विस रोड तथा पहुॅच पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत् प्रतिशत् राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित बायपास के निर्माणोपरांत SH-4 से गुजरने वाले भारी वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों को शहर में प्रवेश के बिना ही प्रस्तावित बायपास (पूर्वी भाग) पथ से होकर अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करेगी। फलस्वरूप जाम की समस्याओं से आम जनों को निजात मिलेगी साथ ही शहर के पूर्वी हिस्से विकास तेजी से होने की संभावना होगी। विषयांकित परियोजना निर्माण जनहित में जनउपयोगी होने के साथ यातायात का आवागमन निर्वाध एवं सुरक्षित सम्पन्न होगी। प्रस्तावित निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में राज्य उच्च पथ सं0 106 (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–30) दीदारगंज–फतुहा–बख्तियारपुर–करजान पथ का 4–लेन (कुल लंबाई 41.270 कि.मी.) के चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 106553.20 लाख (एक हजार पैंसठ करोड़ तीरपन लाख बीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित परियोजना, राज्य उच्च पथ सं0 106 (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–30) के 4–लेन में चौड़ीकरण (कुल लंबाई 41.270 कि.मी.) हेतु तैयार किया गया है।परियोजना अंतर्गत फतुहा बाजार भाग में 4–लेन मानक एलिवेटेड संरचना पर 2.40 कि.मी. लंबाई में फ्लाई ओभर का निर्माण तथा बख्तियारपुर अंतर्गत बाजार भाग में भूमि की अनुपलब्धता एवं सघन घनत्व को ध्यान में रखते हुए 2.94 कि.मी. लंबाई में एलिवेटेड संरचना पर बाईपास का निर्माण का प्रावधान किया गया है। परियोजना के मार्गरेखन में भू–अर्जन की आवश्यकता है।प्रस्तावित पथांश में बिटुमिनस भाग 37.30 कि.मी. एवं रिजिड पेभमेंट 3.90 कि.मी. है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, कोचस अंतर्गत कोचस में आरा–मोहनिया पथ पर बाईपास पथ (कुल लंबाई 12.25कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु राशि ₹5409.41लाख (चौवन करोड़ नौ लाख इकतालिस हजार) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तुत बाईपास की कुल लंबाई 12.25 कि.मी. है। यह पथ एन.एच–319 को सासाराम–चौसा पथ को जोड़ता है। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 3.75मी. है। एवं प्रस्तावित चौड़ाई 2–लेन (7मी.) है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 28 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत प्राक्कलन में जी.एस.बी.–225एम.एम, डब्लू.एम.एम.–225एम.एम, डी.बी.एम.–80एम.एम. एवं बी.सी.–40एम.एम.आदि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

128

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4–लेन सड़क को जे.पी.गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य के निमित ₹5228.40 लाख (बावन करोड़ अठाईस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह परियोजना मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4–लेन सड़क को जे.पी.गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य से संबधित है। परियोजना की कुल लंबाई 600मी. है। प्रस्तुत परियोजना में बिटुमिनस कार्य, ट्राफिक साईन मार्किंग, जंक्शन इम्प्रुभमेंट, आर.सी.सी. नाला, ह्यूम पाईप कल्भर्ट, गंगा चैनल पर उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल तथा बचाव कार्य आदि का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना के बन जाने से आमजनों को यातायात में काफी सुगमता होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना जिलाधीन नौबतपुर–मसौढ़ी पथ के 17वें कि.मी. में नौबतपुर लख में फ्लाई ओभर निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 7306.00 लाख (तिहत्तर करोड़ छः लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में फ्लाई ओभर (कुल लंबाई 765मी.), 125मी. लंबाई में दोनो तरफ रिटेनिंग वॉल, कैनाल लाईनिंग, आर.सी.सी. नाला एवं क्रास ड्रेनेज के रूप में विभिन्न आकार का आर.सी.सी बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित फ्लाई ओभर 3–लेन का है। कैरिज–वे की चौडाई 10.50मी. है। प्रस्तुत फ्लाई ओभर जल संसाधन विभाग के कैनाल पर प्रस्तावित है। अतः जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। परियोजना के मार्गरेखन में पटना एवं मसौढ़ी दोनो तरफ भू–अर्जन की आवश्यकता है। स्थल के अनुसार अंडरपास का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(130)

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार गया जिलान्तर्गत गया – मानपुर रेलखंड (रेलवे कि०मी० 468/16–18) पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–71 A (बागेश्वरी गुमटी) के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹5117.47051 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ सत्रह लाख सैंतालीस हजार इक्यावन मात्र) सहित कुल ₹9016.60 लाख (रूपये नब्बे करोड़ सोलह लाख साठ हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार के प्रगति यात्रा के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में कॉस्ट शेयरिंग के आधार विषयांकित परियोजना का निर्माण पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच निष्पादित MOU दिनांक–07.05.2019 के आधार पर किया जाना है।

प्रस्तावित 2–लेन पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल की कुल लम्बाई 643.072 मीटर है, जिसमें आर०ओ०बी० अंश–63.480 मीटर, भाया–डक्ट–424.80 मीटर, आर०ई०वॉल–154.792 मीटर के अतिरिक्त एक फुट ओवर ब्रिज एवं सर्विस रोड/ डायवर्सन रोड का निर्माण कार्य का प्रावधान किया है।

प्रस्तावित आर०ओ०बी० गया–मानपुर मुख्य रेलवे लाईन के बागेश्वरी गुमटी पर अवस्थित है, जिस पर ट्रेनों का आवागमन अत्यधिक है। आर०ओ०बी० के संरेखण पटना – गया मुख्य पथ के रामशिला मोड़ से गया स्टेशन के बीच अवस्थित है जो महत्वपूर्ण शहरों /गॉवों को जोड़ती है। जिस पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। अतः विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अंतर्गत जीरो माईल से आशनी फ्लाई ओभर (एन0एच0–30 का लेफ्ट आउट भाग) पथ के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9400.38 लाख (चौरानबे करोड़ अड़तीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 5.037 कि.मी. है। कैरिज–वे की वर्तमान चौड़ाई 2 लेन की है जिसे चौड़ीकरण कर 4–लेन (पेम्ड सोल्डर सहित कुल चौड़ाई 20मी0) करने का प्रावधान है। यह पथांश एन0एच0–30 का लेफ्ट आउट भाग है। नये एन0एच0–30 का मार्गरेखन आशनी से मुड़कर बमपाली में एन एच–84 से मिलती है। वाराणसी, मोहनिया से पटना आने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया जाता है जिसके कारण जाम की समस्या अक्सर रहती है।

इस पथ के चौड़ीकरण हो जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। पथ के मार्गरेखन में 19 अदद बॉक्स कलभर्ट एवं 1100 मी0 लम्बाई में पथ के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाला का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक अदद् आर0ओ0बी0 निर्माण का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

132

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन अंतर्गत डेहरी–तेतराढ़–राजपुर पथ (कि0मी 0.00 से कि0मी0 20.40) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9211.79 लाख (बानबे करोड़ ग्यारह लाख उनासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 20.40 कि.मी. है। कैरिज–वे का वर्तमान चौड़ाई 5.50मी. है। जिसे चौड़ीकरण कर 2–लेन (पेभ्ड सोल्डर सहित कुल चौड़ाई 10मी0) करने का प्रावधान है। पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 32 अदद स्लैब कलभर्ट, 16 अदद आर0सी0सी0 बॉक्स कलभर्ट एवं 1 उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का प्रावधान किया गया है। यह पथ डेहरी के ओल्ड जी0टी0 रोड बाजार भाग में अम्बेदकर चौक से प्रारम्भ होकर चुना भट्टा मोड़, रतुबिगहा, एकता चौक, प्रयाग विगहा, तेतराढ़ बाजार होते हुए राजपुर बाजार तक नौखा–नासरीगंज पथ में जोड़ती है। एस0एच0–15 एवं जी0टी0 रोड से आने वाले वाहन भी इसी पथ से होते हुए डेहरी शहर से होकर गुजरती है। फलतः इस पथ में जाम की समस्या रहती है। पथ के चौड़ीकरण हो जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

133

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल अंतर्गत बी.एन.एम. कॉलेज घाट बड़हिया (जिला–लखीसराय) से प्रारंभ होकर महारानी स्थान, पंचमहला, डुमरा, नौरंगा होते हुए मराची (जिला–पटना) तक पथ कुल लंबाई 10 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11621.72 लाख (एक सौ सोलह करोड़ इक्कीस लाख बहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 10.00 कि.मी. है। यह पथ वर्तमान में 1–लेन है। जिसे चौड़ीकरण कर इंटरमिडिएट लेन (कैरिज–वे 5.50मी.) करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

यह पथ वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग अधीन है जिसका अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में किया जाना आवश्यक है।

इस पथ का प्रारंभ बिन्दु बी.एन.एम. कॉलेज घाट बडहिया एवं अंतिम बिन्दु मराची है। यह एक महत्वपूर्ण पथ है। इस पथ के 4.70 कि.मी. पथांश कच्चा एवं हरित क्षेत्र है। जिसके चौड़ीकरण कार्य में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है अतः प्राक्कलन में इस निमित राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के मार्गरेखन में पी.क्यू.सी. प्रकार के पथ का प्रावधान किया गया है साथ ही 16 अदद आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। साथ ही आर.सी.सी. नाला का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अन्तर्गत रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ (कुल लंबाई–2.7 कि०मी०) के दोनो तरफ भुमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹31851.28 लाख (तीन सौ अठारह करोड़ एकावन लाख अठाईस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनो तरफ बुडको का खुला कच्चा नाला है, जिसकी चौड़ाई 10–15मी० है। इस नाला को ढक कर पथ निर्माण एवं पथ का चौड़ीकरण करने से वाहनो के आवागमन हेतु अतिरिक्त लेन मिलने से जाम की समस्या निजात मिलेगी। नाला के पक्कीकरण हो जाने से नाला में पानी का बहाव भी तेजी से होगा एवं नाला जाम होने की भी समस्या नहीं होगी। नाला को पाटने हेतु 1/75/0 एवं 1/22/0 आकार के आर.सी.सी. बॉक्स कल्भर्ट का प्रावधान किया गया है। शेष उपलब्ध भुमि पर पथ का चौड़ीकरण का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। योजना निर्माण की आकलित अवधि 24 माह है।

विषयांकित योजना के बन जाने से आमजनों को यातायात में काफी सुगमता होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

135

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा–एम्स–पाटली पथ को दानापुर तरफ नेहरू पथ से संपर्कता करने का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 14386.00 लाख (एक सौ तेंतालिस करोड छियासी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस कार्य के तहत नेहरू पथ को एम्स–दीघा (पाटलि पथ) से संपर्कता करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्य हेतु नेहरू पथ के दोनो तरफ रैम्प का निर्माण किया जायेगा, जो नेहरू पथ के गोला रोड फ्लाई ओभर के अंतिम बिन्दु से प्रारंभ होकर पाटलि पथ से संबद्ध हो जायेगा। इससे नेहरू पथ की यातायात व्यवस्था और सुदृढ होगी तथा पाटलि पथ का बेहतर उपयोग हो सकेगा। सगुना मोड़ होते हुए खगौल एवं [illegible] से आने वाले यात्रियों के लिए जे.पी.सेतु एवं जे.पी.गंगा पथ तक पहुंचना [illegible] जायेगा। प्रस्तुत योजना में एलिवेटेड स्ट्रक्चर पहुंच पथ का प्रवधान किया गया है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

136

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के आलोक में पटना शहर अंतर्गत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच, जे. पी. गंगा पथ के दोनों तरफ, लगभग 7 कि०मी० की लम्बाई में 'जे. पी. गंगा पथ समग्र उद्यान' परियोजना (फेज–1) के निर्माण हेतु राशि ₹38740.00 लाख (रुपये तीन सौ सत्तासी करोड़ चालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना में बिहार राज्य में पटना शहर से गुजरने वाली अत्यंत ही गौरवमयी, वैभवशाली, पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर दीघा से गांधी मैदान के बीच निर्मित जे. पी. गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 कि०मी० लम्बाई में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक क्रियाकलापों आदि को सुविधात्मक करने के दृष्टिकोण से एवं पर्यटन को विशेष रूप से आकर्षित करने हेतु 49.7 हेक्टेयर भूमि के लगभग 90 प्रतिशत भाग में खुला हरित क्षेत्र विकसित करने तथा शेष 10 प्रतिशत भाग में मूलभूत सुविधाओं के साथ रिवर फ्रंट, वानस्पतिक उद्यान, तितली उद्यान, फूड कोर्ट, अर्बन महिला हाट, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग आदि विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे समेकित रूप से **'जे. पी. गंगा पथ समग्र उद्यान' परियोजना (फेज–1) का नाम दिया गया है।** परियोजना निर्माण कार्य की अवधि 3 वर्ष एवं संधारण की अवधि 05 वर्ष का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना के बन जाने से आमजनों को यातायात में काफी सुगमता होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

CS CamScanner

137

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में अरवल जिलान्तर्गत अंचल—अरवल के मौजा—सोनवर्षा, थाना सं0—05 एवं मौजा—कोरियम, थाना सं0—01 के विभिन्न खाता एवं खेसरा में रकबा क्रमशः 46.99 एकड़ एवं 18.96 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा—65.95 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं गैरमजरूआ मालिक किस्म—परती कदीम भूमि औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :— 24/2/25
नाम :— (जय सिंह),
पदनाम :— सचिव।

138

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में नवादा जिलान्तर्गत अंचल–रजौली के मौजा–भड़रा, थाना सं0–124 के खाता सं0–75 एवं 76 के विभिन्न खेसराओं का कुल रकबा क्रमशः–71.67 एकड़ अनावाद बिहार सरकार एवं 9.68 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण कुल प्रस्तावित रकबा–81.35 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

24/12/25

हस्ताक्षर :–
नाम :– (जय सिंह),
पदनाम :– सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

139

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में रोहतास जिलान्तर्गत अंचल–डिहरी के मौजा–मलुआड़ी, थाना सं0–180, खाता सं0–444, मौजा–मडकुडिया, थाना सं0–167, खाता सं0–150/165, मौजा–दुर्गापुर, थाना सं0–169, खाता सं0–153 एवं मौजा–भटौली, थाना सं0–170, खाता सं0–117 के विभिन्न खेसराओं में कुल प्रस्तावित रकबा–60.05 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :— 6/2/25
नाम :— (जय सिंह),
पदनाम :— सचिव।

140

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत **पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमण्डल** में स्थायी रूप से नवसृजित अवर निबंधक कार्यालय, पालीगंज के क्षेत्राधिकार में पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार अंचल का संपूर्ण क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। इस निमित पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार अंचल की आम जनता को दस्तावेजों का निबंधन कराना काफी सुलभ होगा, जिन्हें अवर निबंधक कार्यालय, बिक्रम में निबंधन कराने हेतु कम दूरी तय करनी पड़ेगी। साथ ही, निबंधन कार्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण में सुविधा प्राप्त होगी तथा राजस्व संग्रहण का भी अधिक कारगर ढंग से अनुश्रवण किया जा सकेगा।

उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक–एक पद का सृजन होगा। इससे रोजगार की संख्या में भी वृद्धि होगी।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, मुख्यालय वीरपुर द्वारा नया केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि 99 वर्षों की लीज पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की कुल राशि 33,00,000 (तैतीस लाख) रूपया तथा केन्द्रीय विद्यालय, ए0एफ0एस0, पूर्णियाँ के भवन निर्माण हेतु 12.91 एकड़ भूमि 99 वर्षों की लीज पर केन्द्रीय विद्यालय के संगठन के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की कुल राशि 44,88,160 (चौवालीस लाख अठासी हजार एक सौ साठ) रूपया छूट प्रदान करने तथा भविष्य में नये केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग की सहमति एवं समाहर्त्ता की अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में शत–प्रतिशत छूट की सहमति विभाग (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) द्वारा प्रदान करने एवं उस पर पुनः अलग से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण होने से सशस्त्र बल एवं वायु सेना के परिवारों के बच्चों के साथ–साथ स्थानीय बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा, तथा आस–पास के क्षेत्रों में रियल स्टेट एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव

I42

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय)

प्रेस नोट

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली, 2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक (वेतन स्तर–5) के बिहार राज्य के सभी थानों में सृजित कुल–1064 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए उसके स्थान पर पूर्व में स्वीकृत पद के अतिरिक्त सभी समाहरणालय (ज़िला उर्दू भाषा कोषांग) के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल कार्यालयों के लिए 101 पद, सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद, तथा अंचल कार्यालयों के लिए 391 पद अर्थात् सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1064 पदों की सृजन होगा। उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप कुल–₹ 68,70,58,848/– (अड़सठ करोड़ सत्तर लाख अट्ठावन हजार आठ सौ अड़तालीस) रुपये की राशि का वार्षिक व्यय अनुमानित है।

सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त पदों को समाहरणालय (ज़िला उर्दू भाषा कोषांग), अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालयों में सृजित किये जाने के फलस्वरूप राज्य के द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के विकास एवं प्रचार–प्रसार में गुणोत्तर वृद्धि होगी।

25/02/2024

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

E:\Amit\Raghib\Post Creation\Sanlekh-03 Date-24-02-2024 (Press Notice).doc

143

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 61.40 करोड़ (एकसठ करोड़ चालीस लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 36.84 करोड (छत्तीस करोड़ चौरासी लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 93.58 करोड़ (तिरानवे करोड़ अंठावन लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 61.40 करोड़ (एकसठ करोड़ चालीस लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 36.84 करोड (छत्तीस करोड़ चौरासी लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 93.58 करोड़ (तिरानवे करोड़ अंठावन लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

2-1-17

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

(144)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

श्री मनोज रमण (आई०डी० संख्या–3284), मुख्य अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना–सह–अभियंता प्रमुख (अतिरिक्त उच्चतर प्रभार), बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनकी दिनांक 28.02.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में आगामी 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विभागान्तर्गत संविदा के आधार पर मुख्य अभियन्ता (असै०) के मूल धारित पद के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर नियोजित कर पदस्थापित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख का प्रभार प्रदान किये जाने के संबंध में।

25/2/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

1115

प्रेस नोट

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत/प्रस्तावित योजनाओं में केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के विरूद्ध सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510209 के बजटीय उपबंध रु0 881.00 करोड़ (आठ सौ एकासी करोड़ रुपये) का 50 (पचास) प्रतिशत, अर्थात रु0 440.50 करोड़ (चार सौ चालीस करोड़ पचास लाख रुपये) एवं राज्यांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510309 के बजटीय उपबंध रु0 126.00 करोड़ (एक सौ छब्बीस करोड़ रुपये) का 50 (पचास) प्रतिशत, अर्थात रु0 63.00 करोड़ (तीरेसठ करोड़ रुपये) तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510212 के बजटीय उपबंध रु0 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) का 100 (सौ) प्रतिशत, अर्थात् रु0 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) का उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम अवयव के तहत् वृहद तटबंध निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं टाल विकास आदि कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता हे। इसी प्रकार सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के तहत् नेपाल प्रभाग में कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है। वर्तमान प्रस्ताव के स्वीकृति के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में योजनाओं को शामिल करने की जटिल प्रक्रिया के कारण केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा एवं बाढ़ जैसी आपदा में त्वरित एवं ससमय कार्य पूरा होगा। इससे जान–माल की क्षति को न्यून किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ले)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

146

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस–नोट

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के उपयोग हेतु वाहन की सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को उनके स्थापना विभाग द्वारा उनके उपयोग हेतु एक ए0सी0 वाहन (प्रति माह 350 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) उपलब्ध कराया जायेगा अथवा वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित दर के अन्दर एक (01) ए0सी0 वाहन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 4000 कि0मी0 होगी।

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

D:\Kamlesh\Sanlekh.doc